अध्याय - III

असैनिक विभाग

खण्ड-कः निम्नलिखित के कार्यकलाप का मूल्यांकन सन्निहित हैः

- झारखण्ड में वन विभाग का कार्यकलाप
- ग्रामीण आवास योजना (आई.ए.वाई.)
- स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

खण्ड-खः असैनिक विभागों के लेन-देन पर अन्य मुख्य लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ सन्निहित है।

अध्याय - III
असैनिक विभाग

खण्ड - क : समीक्षाएँ

वन एवं पर्यावरण विभाग

3.1 झारखण्ड में वन विभाग का कार्य-कलाप

विशिष्टतायें

वन एवं पर्यावरण विभाग केन्द्रीय प्रायोजित योजना सहित विभिन्न योजनाओं के द्वारा राष्ट्रीय वन नीति, 1988 के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है। यद्यपि प्राकृतिक वन विकास एवं रख-रखाव, अवक्रमित वन की पुनर्स्थापना, वनभूमि में वनरोपण, भू एवं जल संरक्षण, वन्य जीवन का संरक्षण और इनके विकास के लिए विभिन्न योजनाओं का कार्यान्वयन किया गया था, उन योजनाओं का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था और योजना का बुनियादी लक्ष्य अपूर्ण रहा। पूरे तौर पर, अवधान और अनुश्रवण के अभाव में योजनाएँ पीछे रह गयी।

878.70 करोड़ रूपये के कुल बजट प्रावधान में से 388.95 करोड़ रूपये अनुपयोगित रहा।

[कंडिका 3.1.4.1(ii)]

भारत सरकार से प्राप्त 49.79 करोड़ रूपये में से 31.96 करोड़ रूपये अनुपयोगित रहा।

[कंडिका 3.1.4.1(iii)]

परती/अवक्रमित वनक्षेत्र की उपलब्धता के बिना 2334.75 हेक्टेयर वनभूमि पर 3.36 करोड़ रूपये की लागत से वृक्षारोपण किया गया।

[कंडिका 3.1.5.1 (I)(क)]

कार्य योजना की स्वीकृति के बिना 7217.59 हेक्टेयर वनभूमि पर वृक्षारोपण कार्य में 5.68 करोड़ रूपये व्यय किया गया।

[कंडिका 3.1.5.1 (I)(घ)]

सरकार द्वारा स्वीकृत नहीं की गई योजनाओं के लिए 2.21 करोड़ रूपये मजदूरी सहित 3.14 करोड़ रूपये का दायित्व निर्मित किया गया।

[कंडिका 3.1.5.1 (iii)]

10 वन प्रमंडलों ने बिना स्वीकृति के लकड़ी के एवं सीमा स्तंभ के निर्माण पर 33.65 लाख रूपये का अनधिकृत व्यय किया।

[कंडिका 3.1.5.1 (vii)]

10 वन प्रमण्डलों द्वारा सड़क किनारे वृक्षारोपण कार्यों पर 80.49 लाख रूपये का अनियमित व्यय किया गया।

[कंडिका 3.1.5.1 (viii)]

मेसर्स स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड पर 72.28 लाख रूपये की माँग सृजित नहीं किये जाने के कारण क्षतिपूरक वनरोपण कार्यान्वित नहीं किया गया।

[कंडिका 3.1.5.1 (x)]

परिचालित बेतार तंत्र के संस्थापन में विफल रहने के कारण 94.24 लाख रूपये का निष्फल व्यय।

[कंडिका 3.1.5.3 (iii)]

योजनाओं के अनुश्रवण का पूर्ण अभाव था और विभाग द्वारा मूल्यांकन भी नहीं किया गया था।

[कंडिका 3.1.8]

3.1.1 प्रस्तावना

15 नवम्बर 2000 को 79714 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र जिनमें 21644 वर्ग किलोमीटर (27.15 प्रतिशत) वन अच्छादित हैं, के साथ झारखण्ड राज्य के निर्माण के साथ वन एवं पर्यावरण विभाग अस्तित्व में आया।

वन विभाग पारिस्थितिक संतुलन की पुनर्स्थापना सहित वनों के प्रबंधन, भूस्खलन की रोकथाम, जल संरक्षण, वन्य जीवों के संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है।

3.1.2 संगठनात्मक ढाँचा

विभाग के प्रमुख एक प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पी सी सी एफ) एवं 4 मुख्य वन संरक्षक (सी सी एफ) सहित एक सचिव होते हैं। पी सी सी एफ और सी सी एफ (विकास) कार्मिक प्रशासन और 4 क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक (आर सी सी एफ) और 14 वन संरक्षक (सी एफ) के माध्यम से सभी कार्यक्रम और योजनाओं के कार्यान्वयन और अनुश्रवण के लिए उत्तरदायी हैं। प्रमंडल स्तर पर 62 प्रमंडलीय वन पदाधिकारी (डी एफ ओ) योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं।

3.1.3 समीक्षा का क्षेत्र

1997-2002 की अवधि के लिए सचिवालय, निदेशालय, 2 क्षेत्रीय मुख्य संरक्षक[1], 3 सी एफ[2] और 16 डी एफ ओ[3] के अभिलेखों की नमूना जाँच द्वारा विभाग के कार्य-कलाप की समीक्षा मार्च से सितम्बर 2002 के दौरान की गयी।

3.1.4 वित्तीय प्रबन्धन

3.1.4.1 विभाग की वित्तीय स्थिति

(i) निधियों का विनियोजन और 1997-2000 (14.11.2000) तक एकीकृत बिहार राज्य के लिए और 2000-02 की शेष अवधि के दौरान झारखण्ड राज्य के लिए किया गया व्यय निम्न प्रकार थाः-

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	बजट प्रावधान			व्यय			बचत (प्रतिशत)	
	गैर योजना	योजना	कुल	गैर योजना	योजना	कुल	गैर योजना	योजना
1997-98	53.84	53.86	107.70 (10.40)	53.57	11.00	64.57	0.27 (1)	42.86 (80)
1998-99	70.55	141.17	211.72 (16.33)	67.56	19.55	87.11	2.99 (4)	121.62 (86)
1999-2000	88.52	91.22	179.74 (10.78)	85.17	13.69	98.86	3.35 (4)	77.53 (85)
2000-01 (14.11.2000 तक)	59.28	55.03	114.31 (0.40)	48.99	0.90	49.89	10.29 (17)	54.13 (98)
2000-01 (15.11.2000 से 31.3.2001)	42.62	58.33	101.15 (33.72)	31.55	8.92	40.47	11.07 (26)	49.61 (85)
2001-02	88.83	72.25	164.08 (18.88)	77.67	71.18	148.85	11.16 (13)	4.07 (5)
कुल	403.64	475.06	878.70 (90.51)	364.51	125.24	489.75	39.13 (10)	349.82 (74)

(कोष्ठक में आँकड़े अनुपूरक अनुदान के लिए हैं।)

(ii) प्रावधानों का उपयोग नहीं होना

74 प्रतिशत योजना बजट अनुपयोगित रहा।

विभाग 1997-2002 के दौरान किये गये 388.95 करोड़ रूपये के योजनाः 349.82 करोड़ रूपये (74 प्रतिशत) तथा गैर योजनाः 39.13 करोड़ रूपये (10 प्रतिशत) बजट प्रावधानों का उपयोग करने में विफल रहा। तदन्तर 7 योजनओं[4] के अंतर्गत 48.68

[1] हजारीबाग और जमशेदपुर।

[2] हजारीबाग, देवघर (संथाल परगना अंचल) और राँची (मूल्यांकन और अनुश्रवण अंचल)।

[3] बोकारो, चाईबासा (पोराहाट), चाईबासा (कोल्हान), डालटेनगंज उत्तरी, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गुमला, कोडरमा, वन रोपण प्रमंडल डालटेनगंज, हजारीबाग, राँची, सामाजिक वानकी प्रमंडल, देवघर,, दुमका, कोडरमा और सिमडेगा।

[4] बीज विकास, आधुनिक तकनीक द्वारा अग्निशमन, कावर लेक विकास, लघु वन उपज औषधीय गुण की जड़ी-बूटी, अवैध शिकार पर रोक, जल जमाव क्षेत्र का विकास और शत प्रतिशत सी एस एस के अंतर्गत आर्थिक विकास।

करोड़ रूपये का कुल प्रावधान बिना योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किये अवास्तविक बजट के कारण अनुपयोगित रहा।

90.51 करोड़ रूपये से प्राप्त अनुपूरक प्रावधान का भी उपयोग नहीं किया गया और अनावश्यक साबित हुआ।

(iii) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में निधि की स्थिति

केन्द्र प्रायोजित योजनायें दो श्रेणियों के अंतर्गत परिचालित थी, जैसे, 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के साथ योजना और केन्द्र तथा राज्य सरकार दोनों के द्वारा 50:50 के अनुपात में निधिबद्ध योजना। इन योजनाओं के संदर्भ में निधि की उपलब्धता का विस्तृत ब्यौरा, जैसाकि सी सी एफ (विकास) द्वारा प्रतिवेदित किया गया, निम्न प्रकार था :-

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	निधि की प्राप्ति				व्यय				
	केन्द्र		50:50 योजना में राज्यांश	कुल	केन्द्र (100%)	50:50 योजनाएँ		कुल	बचत
	100%	50:50				केन्द्र का अंश	राज्यांश		
1997-98	3.47	2.14	0.54	6.15	1.60	0.54	0.54	2.68	3.47
1998-99	5.47	2.76	2.12	10.35	1.84	2.12	2.12	6.08	4.27
1999-2000	15.44	3.62	2.32	21.38	2.67	2.32	2.32	7.31	14.07
2000-2001	6.52	1.76	0.25	8.53	1.09	0.25	0.25	1.59	6.94
2001-02	6.41	2.20	2.20	10.81	4.72	0.68	2.20	7.60	3.21
कुल	**37.31**	**12.48**	**7.43**	**57.22**	**11.92**	**5.91**	**7.43**	**25.26**	**31.96**

(राज्य सरकार के अंशदान में 5.05 करोड़ रूपये का ह्रास था।)

3.1.4.2 नमूना जाँच किये गये प्रमण्डलों की वित्तीय स्थिति

(i) नमूना जाँच किये गये प्रमण्डलों में 1997-02 के दौरान निधि का आबंटन और व्यय निम्न प्रकार थाः-

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	आवंटन			व्यय			आधिक्य (+) बचत (-)
	गैर योजना	योजना	कुल	गैर योजना	योजना	कुल	
1997-98	1003.79	147.30	1151.09	1012.82	144.48	1157.30	(+) 6.21
1998-99	1330.91	433.64	1764.55	1263.65	409.26	1672.91	(-) 91.64
1999-2000	1695.54	268.34	1963.88	1645.93	224.89	1870.82	(-) 93.06
2000-01 (14.11.2000 तक)	952.76	शून्य	952.76	917.98	शून्य	917.98	(-) 34.78
2000-2001 (15.11.2000 से 31.3.2001)	1000.02	350.15	1350.17	849.40	286.59	1135.99	(-) 214.18
2001-2002	1984.29	2716.37	4700.66	1953.05	2651.89	4604.94	(-) 95.72
कुल	**7967.31**	**3915.80**	**11883.11**	**7642.83**	**3717.11**	**11359.94**	**(-) 523.17**

1997-2002 की अवधि के दौरान, 5.23 करोड़ रूपये के आवंटन का उपयोग नहीं किया गया। विभाजित झारखण्ड राज्य में 2000-02 के दौरान कुल अनुपयोगित राशि 3.10 करोड़ रूपये (5 प्रतिशत) थी।

(ii) जाँच से पता चला कि 8 वन कार्यालयों[5] में, 1997-02 के दौरान व्यक्तिगत दावे जैसे पेंशन, उपादान, जी पी एफ और बीमा आदि के भुगतान के लिए कोषागार में प्रस्तुत विपत्रों पर आहरित राशि संबंधित रोकड़ पंजी में संधारित नहीं की गयी।

बोकारो प्रमंडल में, रोकड़ पंजी का संधारण नहीं किया जाना 0.55 लाख रूपये के गबन को सुगम बनाया, क्योंकि रद्द विपत्र के विरूद्ध पूर्व प्रधान लिपिक द्वारा की गयी निकासी डी डी ओ (अगस्त 1999) द्वारा पता नहीं किया गया, जबकि डी एफ ओ बोकरो ने गबन के मामले को स्वीकार किया (अप्रैल 2002)। एफ आई आर दायर नहीं किया गया। वन प्रमंडल पदाधिकारी ने कहा (मई 2003) कि अक्टूबर 2002 में सेवानिवृत प्रधान लिपिक के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारम्भ की गयी है।

डी एफ ओ, लोहरदगा ने उत्तर में कहा कि रोकड़ पंजी रेंज स्तर पर संधारित की जाती थी जबकि एफ आर ओ, राँची ने कहा कि रोकड़ पंजी के संधारण का कोई पूर्वोदाहरण नहीं था। उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि बिहार कोषागार संहिता खण्ड-। की धारा 86 के अंतर्गत प्रत्येक डी डी ओ को रोकड़ पंजी का संधारण करना है।

3.1.5 भौतिक प्रदर्शन

विभाग ने वर्षवार वनरोपण एवं अन्य कार्यों का भौतिक लक्ष्य और उसके विरूद्ध उपलब्धि को प्रस्तुत नहीं किया। यद्यपि सी एफ/आर सी सी एफ के माध्यम से कार्यान्वित करने वाले प्रमंडलों द्वारा भौतिक के साथ-साथ वित्तीय लक्ष्य एवं उपलब्धि निहित व्यय प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे सी सी एफ (विकास) द्वारा समस्त भौतिक उपलब्धियों के तदन्तर विश्लेषण के लिए समेकित नहीं किया गया था। तथापि, यह वास्तविकता कि 1997-02 के दौरान योजना परिव्यय का 74 प्रतिशत अनुपयोगित रहा, स्वयं दर्शाती है कि योजना का कार्यान्वयन बहुत निम्न स्तर का था।

3.1.5.1 वनरोपण और सामाजिक वानिकी से संबंधित गतिविधियाँ

(i) कार्य योजना के प्रावधानों के उल्लंघन में वनरोपण

कार्य योजना प्रत्येक डी एफ ओ को वन की प्रकृति, वन भूमि की उपलब्धता, उपज, भंडार और कटाई अवधि आदि सुनिश्चित करने में सहयोग करती है। कार्य योजना बीस

[5] पी सी सी एफ, झारखंड, सी एफ देवघर, बोकारो प्रमंडल, देवघर प्रमंडल, गुमला प्रमंडल, एफ आर ओ, राँची, लोहरदगा प्रमंडल और पोराहाट प्रमंडल, चाईबासा।

वर्षों के लिए तैयार की जाती है और वन प्रमंडलों के अंदर किसी कार्य के प्रारंभ होने के पहले भारत सरकार (भा.स.) द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

25 क्षेत्रीय वन प्रमंडलों द्वारा वनों के संपोषण, संरक्षण और विकास के लिए राज्य 25 कार्य योजना क्षेत्रों द्वारा आच्छादित है। इन प्रमंडलों को वनरोपण कार्यों में अन्य वन रोपण/सामाजिक वानकी प्रमंडलों द्वारा मदद प्राप्त होती है।

नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि 1997-02 के दौरान मात्र 12 वन प्रमंडलों के पास भा.स. द्वारा अनुमोदित कार्य योजना थी जिसके फलस्वरूप निम्नांकित अनियमिततायें हुई।

बिना पर्याप्त परती/ अवक्रमित वन क्षेत्र के 3.09 करोड़ रूपये की लागत से वृक्षारोपण

(क) 8 प्रमंडलों ने 1997-2002 के दौरान बिना पर्याप्त परती/अवक्रमित वन क्षेत्र की उपलब्धता के 3.09 करोड़ रूपये (परिशिष्ट-XVII) की कुल लागत पर 1871.75 हेक्टेयर वन भूमि में पौधा रोपण कार्य सम्पादित किया। बिना पर्याप्त खाली क्षेत्र की उपलब्धता के कार्य योजनानुसार वनरोपण कार्यक्रम का संपादन यह दर्शाता है कि कार्य योजना में चिन्हित वन क्षेत्र या तो अनधिकृत और अप्रतिवेदित पेड़ों की कटाई के कारण नहीं थे या वर्त्तमान वृक्षारोपण संदेहास्पद था।

तदन्तर 2 प्रमंडलों में (उत्तरी वन प्रमंडल, चाईबासा और सामाजिक वानिकी प्रमंडल, देवघर) 2000-02 के दौरान 463 हेक्टेयर वन भूमि में भू संरक्षण पर 27.19 लाख रूपये व्यय किया गया यद्यपि पुनरीक्षित कार्य योजना में उन क्षेत्रों का प्रावधान नहीं था। इसके फलस्वरूप 27.19 लाख रूपये का अनधिकृत व्यय हुआ।

(ख) बगान की परिपक्वता पर वनों की श्रेणी की कटाई की सूची वन प्रमंडलों के स्वीकृत 20 वर्षीय कार्य योजना के अधीन निश्चित है। तदनुसार कूप (क्षेत्र) तैयार किया जाता है और वन विभाग के संबंधित राज्य व्यापार प्रमंडल को परिपक्व पेड़ों की कटाई के लिए स्थानांतरित किया जाता है। तदन्तर पेड़ों की कटाई और वन प्रमंडल को साफ वन भूमि के स्थानांतरण के बाद ही उस क्षेत्र में पुनर्रोपण किया जा सकता है।

पूर्ववर्ती वृक्षारोपण की कटाई के पहले ही 64.63 लाख रूपये का पुनर्रोपण

दो वन प्रमंडलों (देवघर और दुमका) में नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि अनुमोदित कार्य योजना (1991-2010)के उल्लंघन में 1995 और 1999 के मध्य कटाई श्रेणी की सूची के अंतर्गत रखे गये 5.9 हेक्टेयर पर 9 बगान क्षेत्र में राज्य व्यापार प्रमंडल को जो परिपक्पव पेड़ों की कटाई और वनभूमि की सफाई कर पुनर्रोपण कार्य के लिए वन प्रमण्डल को स्थानांतरित करने के लिए उत्तरदायी है उसके स्थानांतरण के पूर्व 1999-02 के दौरान 64.63 लाख रूपये की कुल लागत से पुनर्रोपण किया गया, जैसा नीचे विवरणित हैः-

क्र. सं.	वन प्रमंडल का नाम	बृक्षारोपण क्षेत्र का नाम एवं थाना सं.	पुनर्रोपण			कार्य योजनानुसार उस क्षेत्र मे पूर्व में किया गया बृक्षारोपण			अभ्युक्तियाँ
			योजना	वर्ष	क्षेत्र (हेक्टेयर)	वर्ष	क्षेत्र (हे.)	कटाई श्रेणी का वर्ष	
1	दुमका	करसोल (207)	एस आर वाई	1999-2000	50	1989	50	1999	राज्य व्यापार प्रमंडल को स्थानांतरित नहीं किया गया
2	तथैव	गोपाली (29)	एस आर वाई	1999-2000	40	1990	40	1999	तथैव
3	तथैव	इटाहारी (28)	एस आर वाई	1999-2000	50	1988	50	1999	तथैव
4	तथैव	वंशकंडरी (19)	एफ एफ पी	1999-2000	50	1987	50	1997	तथैव
5	तथैव	सालपत्र (11)	एफ एफ पी	1999-2000	50	1989	50	1999	तथैव
6	तथैव	सागर (02)	एफ एफ पी	तथैव	50	1987	50	1997	तथैव
7	तथैव	चायपानी/ शिकारीपारा (10)	एफ एफ पी	2001-2002	75	1988	136	1998	तथैव
8	देवघर	बनियासर (35)	एफ एफ पी	2000 – 2001	59	1984	59	1995	तथैव
9	तथैव	रघुनाथपुर (06)	एफ एफ पी	तथैव	85	1988	85	1998	तथैव
	कुल				**509**		**570**		

मामला सी सी एफ (विकास) के पास भेजा गया किन्तु कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) दो वन प्रमंडलों में (डालटेनगंज उत्तरी प्रमंडल और वन रोपण प्रमंडल, डालटेनगंज) सुनिश्चित रोजगार योजना (जिला प्राधिकारियों द्वारा निधिबद्ध एक केन्द्र प्रायोजित रोजगार योजना) के अधीन 340 हेक्टेयर (1998 में 200 हेक्टेयर और 1999 में 140 हेक्टेयर) भूमि पर ब्लाक वृक्षारोपण मुरमा (190 हेक्टेयर) और गांके (150 हेक्टेयर) के सुरक्षित वन क्षेत्र में 2500 पौधे प्रति हेक्टेयर रोपण द्वारा किया गया यद्यपि पूर्ण क्षेत्र स्वीकृत कार्य योजना (1998-2018) के अनुसार ''अवक्रमित वनों की पुनर्स्थापना'' के लिए नियत किया गया था जिसमें मात्र 1000 पौधे प्रति हेक्टेयर रोपा जा सकता था।

मानक तकनीक का उल्लंघन कर 27.75 लाख रू. की लागत से अधिक वृक्षारोपण

इस प्रकार, 340 हेक्टेयर में मानक तकनीकी के विरूद्ध 27.25 लाख रूपये की लागत से 5.10 लाख पौधों का अधिक रोपण किया गया। डी एफ ओ, डालटेनगंज उत्तरी प्रमंडल ने कहा (सितम्बर 2002) कि कुल अवक्रमित क्षेत्र के 40 प्रतिशत में पौधा लगाया गया था। उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि सिर्फ खाली वनक्षेत्र में ब्लॉक वृक्षारोपण की अनुमति थी।

बिना किसी अनुमोदित कार्य योजना के 5.68 करोड़ रूपये का वृक्षारोपण।

(घ) 9 प्रमंडलों[6] में बिना किसी कार्य योजना या अस्थायी परियोजना के अनुमोदन के विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 7217.59 हेक्टेयर भूमि में 5.68 करोड़ रूपये[7] की कुल लागत से वृक्षारोपण पूरा किया गया (2000-02)।

लेखापरीक्षा में इसे बताये जाने पर, डी एफ ओ, हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल ने कहा (सितम्बर 2002) कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के विरूद्ध वृक्षारोपण किया गया था।

सी सी एफ (विकास) द्वारा प्रमंडल जिसे कार्य योजना/अस्थायी परियोजना स्वीकृत नहीं थी, को कार्य की स्वीकृति और निधि का आवंटन किया जाना उचित वित्तीय नियंत्रण की कमी को इंगित करता है।

(ii) अनधिकृत वृक्षारोपण पर व्यय

सामाजिक वानिकी प्रमंडल, राँची को सरकार द्वारा "अवक्रमित वन का पुनर्वास" योजना के अंतर्गत 180 हेक्टेयर (4 निर्दिष्ट स्थानों पर) पौधा लगाने का काम सौंपा गया था (जनवरी 1999)। तदन्तर सी सी एफ (विकास) ने अनधिकृत रूप से (180 में से) 70 हेक्टेयर प्रस्तावित वृक्षारोपण का स्थान बदल दिया (फरवरी 1999) और बिना सरकार की स्वीकृति प्राप्त किये 120 हेक्टेयर का नया क्षेत्र जोड़ दिया।

165.75 हेक्टेयर वनभूमि में 9.91 लाख रूपये की लागत से अनधिकृत वृक्षारोपण हुआ ।

जाँच से उद्घटित हुआ कि 239.25 हेक्टेयर में वृक्षारोपण किया गया जिसमें सरकार द्वारा अनुमोदित सिर्फ 73.5 हेक्टेयर सम्मिलित है जबकि शेष 165.75 हेक्टेयर में, 9.91 लाख रूपये की लागत से अनधिकृत रूप से किया गया। डी एफ ओ ने उत्तर में कहा कि सी सी एफ विकास को पूर्व में भेजे गये प्रस्ताव की स्वीकृति की प्रत्याशा में परिवर्तन किया गया था, जिसे अप्रैल 2003 तक स्वीकृत नहीं किया गया था।

[6] 1. वनरोपण प्रमंडल, हजारीबाग 2 बोकारो, 3 डाल्टेनगंज दक्षिणी 4 गढ़वा उत्तरी, 5 हजारीबाग पूर्वी, 6 हजारीबाग पश्चिमी 7 पोराहाट प्रमंडल, चाईबासा, 8 राँची पश्चिमी, लोहरदगा और 9 सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा।

[7]

अवक्रमित वनो का पुनर्वास	बिना अनुमोदित कार्य योजना/अस्थायी परियोजना की स्वीकृति के 3500 हेक्टेयर में 276.84 लाख रूपये का पौधा लगाया गया।
भूमि संरक्षण कार्य	बिना अनुमोदित कार्य योजना/अस्थायी परियोजना की स्वीकृति के 1721.50 हेक्टेयर में 122.03 लाख रूपये का पौधा लगाया गया।
एम एफ पी (बांस रोपण)	बिना अनुमोदित कार्य योजना/अस्थायी परियोजना की स्वीकृति के 510 हेक्टेयर में 57.32 लाख रूपये में किया गया।
शीघ्र उपजाऊ प्रजाति	बिना अनुमोदित कार्य योजना/अस्थायी परियोजना की स्वीकृति के 490 हेक्टेयर में 51.22 लाख रूपये का पौधा लगाया गया।
ईंधन एवं चारा परियोजना	बिना अनुमोदित कार्य योजना/अस्थायी परियोजना की स्वीकृति के 324.73 हेक्टेयर में 20.48 लाख रूपये का पौधा लगाया गया।
भूमि संरक्षण कार्यक्रम	बिना अनुमोदित कार्य योजना/अस्थायी परियोजना के 671.36 हेक्टेयर में 40.03 लाख रूपये का पौधा लगाया गया।

3 अन्य प्रमंडलों[8] में समान अनियमिततायें देखी गयी, जहाँ 1998-99 में 175.575 हेक्टेयर में डी एफ ओ ने 10.77 लाख रूपये मूल्य का अनधिकृत पौधा लगवाया था।

(iii) अनधिकृत वृक्षारोपण पर दायित्व का सृजन

1999-2000 में बजट अनुदान में वृक्षारोपण कार्य जिससे संबंधित अग्रिम कार्य 1998-99 में 4.57 करोड़ रूपये की लागत से किया गया था, को पूरा करने के लिए प्रावधान नहीं किया गया था। जिसके कारण उस वर्ष के दौरान कोई भी योजना पूरा करने के लिए सी सी एफ (विकास) द्वारा विभाग/सरकार की स्वीकृति के लिए प्रस्तावित नहीं किया गया। सी सी एफ (विकास) द्वारा वन विभाग के सभी कार्यालयों को वस्तुस्थिति की सूचना दी गई थी (जुलाई 1999)।

सरकार द्वारा योजनाओं की स्वीकृति नहीं होने पर 3.14 करोड़ रूपये का दायित्व सृजित किया गया।

जाँच से उद्घटित हुआ कि 34 डी एफ ओ ने स्वयं 1999-2000 में 5 योजनाओं[9] से संबंधित 6732.429 हेक्टेयर भूमि पर वृक्षारोपण और 81.428 किमी. का अनुरेख वृक्षारोपण का कार्य करवाया जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा न तो स्वीकृत किया गया था और न निधि उपलब्ध थी, जिसके द्वारा श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान/सामानों की खरीद के लिए वृहत दायित्व सृजित हुआ। 2000-01 में भी, 8 प्रमंडलों ने 871.5 हेक्टेयर में अनधिकृत कार्यान्वयन करा कर और 1360.98 हेक्टेयर वन भूमि में अनुरक्षण कार्य करा कर उसी अनियमितता को दुहराया।

8

सामाजिक वानिकी प्रमंडल चाईबासा	सरकार द्वारा स्वीकृत 50 हेक्टेयर के विरूद्ध 43.125 हेक्टेयर (आर डी एफ) पर, 2.78 लाख रूपये की लागत से वृक्षारोपण किया गया।
सामाजिक वानिकी प्रमंडल दुमका	सरकार द्वारा स्वीकृत 50 हेक्टेयर के विरूद्ध 45.45 हेक्टेयर (एफ एफ पी) पर 2.42 लाख रूपये की लागत से वृक्षारोपण किया गया।
सामाजिक वानिकी प्रमंडल सिमडेगा	सरकार द्वारा स्वीकृत 100 हेक्टेयर के विरूद्ध 87 हेक्टेयर (आर डी एफ) पर 5.57 लाख रूपये की लागत से वृक्षारोपण किया गया।

9

शीघ्र उपजाऊ प्रजाति (क्यू जी एस) गैर जनजातीय क्षेत्र उपयोजना (गैर टी एस पी)	1999-2000 के दौरान 89.44 हेक्टेयर में कार्य पूरा किये जाने पर 7.37 लाख रूपये।
क्यू जी एस (टी एस पी क्षेत्र)	1999-2000 के दौरान 582.667 हेक्टेयर में कार्य पूरा किये जाने पर 48 लाख रूपये।
अवक्रमित वनों का पुनर्वास (आर डी एफ) (गैर टी एस पी)	1999-2000 के दौरान 903.15 हेक्टेयर में कार्य पूरा किये जाने पर 31 लाख रूपये।
आर डी एफ (टी एस पी)	1999-2000 के दौरान 2497.672 हेक्टेयर में कार्य पूरा किये जाने पर 88 लाख रूपये।
शोध एवं अनुश्रवण (टी एस पी)	1999-2000 के दौरान 42.75 हेक्टैयर में कार्य पूरा किये जाने पर 0.88 लाख रूपये।
ईंधन एवं चारा परियोजना (एफ एफ पी) (गैर टी एस पी)	1999-2000 के दौरान 2616.75 हेक्टेयर में कार्य पूरा कये जाने पर 60 लाख रूपये।
एफ एफ पी (टी एस पी)	2000-01 के दौरान 871.50 हेक्टेयर में कार्य पूरा किये जाने और 1360.98 हेक्टेयर में अनुरक्षण कार्य पर 68.83 लाख रूपये।
सड़क किनारे वृक्षारोपण (गैर टी एस पी)	1999-2000 के दौरान 28.76 किमी में वृक्षारोपण कार्य पर 3.41 लाख रूपये।
सड़क किनारे वृक्षारोपण (टी एस पी)	1999-2000 के दौरान 51.668 किमी. कार्य पूरा करने, नर्सरी में 50,000 पौधे और एक कि.मी. में अनुरक्षण कार्य पर 6.41 लाख रूपये।

तथापि, मस्टर रौल और विपत्रों के आधार पर भुगतान नहीं की गई मजदूरी/खरीद के विपत्रों के लिए वास्तविक दायित्व को सुनिश्चित करने के लिए उचित मूल्यांकन के साथ-साथ किये गये कार्य की भौतिक जाँच नहीं की गई। बदले में, सी सी एफ (विकास) ने 2001-02 के लक्ष्य के विरूद्ध 1999-2001 के दौरान अनधिकृत वृक्षारोपण कार्य संपन्न किये जाने संबंधी 3.14 करोड़ रूपये (बकाया मजदूरी के लिए 2.21 करोड़ रूपये सहित) की 5 योजनाओं को स्वीकृति के लिए सरकार को प्रस्तुत किया, किन्तु विभाग ने उन योजनाओं की स्वीकृति प्रदान नहीं की।

वृक्षारोपण वास्तविक में किया गया था अथवा नहीं और बिना मजदूरी भुगतान के मजदूरों ने इतने लम्बे समय तक कैसे इंतजार किया, इसकी जाँच के लिए विभाग ने अब तक (मार्च 2003) कोई कार्रवाई नहीं की।

(iv) वृक्षारोपण की असफलता

बिना पर्याप्त बचाव और सुरक्षा उपायों के वृक्षारोपण किया गया।

सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत, डी एफ ओ, बोकारो ने 1998-99 में 100 हेक्टेयर भूमि पर 15.22 लाख रूपये की लागत से वृक्षारोपण पूरा किया। तदन्तर, अनुवर्त्ती वर्ष में पौधों के संरक्षण और अनुरक्षण पर 3 लाख रूपये खर्च किया। प्रमंडल के अभिलेखों में पौधों के जीवित रहने की स्थिति अंकित नहीं थी। तथापि, डी एफ ओ द्वारा निरीक्षण किये जाने पर (अगस्त 2000) पूरे वृक्षारोपण को घरेलू जानवरों द्वारा व्यापक रूप से चरने के कारण बर्बाद स्थिति में पाया गया। वनरोपित क्षेत्र के संरक्षण में कमी/असफलता को सुनिश्चित करने के लिए विभागीय जाँच नहीं की गई। लेखापरीक्षा जाँच (अप्रैल 2002) से उद्घटित हुआ कि वृक्षारोपण कार्य बिना उसकी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था के प्रारम्भ किया गया। विभागीय सुरक्षा की अपर्याप्तता के फलस्वरूप 18.22 लाख रूपये की हानि हुई।

(v) पौधों के कम अतिजीवन के कारण हानि

राज्य सरकार ने पौधो का अतिजीवन दर 90 से 95 प्रतिशत और किसी भी परिस्थिति में 80 प्रतिशत से कम नहीं निर्धारित किया (जून 1984)। तथापि, सी सी एफ (विकास) द्वारा दूसरे और तीसरे वर्ष में 60 प्रतिशत पौधों के अतिजीवन को सफल वृक्षारोपण कहा गया था।

पौधों के कम अतिजीवन के कारण 15.02 लाख रूपये की हानि

अभिलेखों की जाँच से उद्घटित हुआ कि 3 वन प्रमंडलों में, विभिन्न योजनाओं के अधीन 1996 और 1999 वृक्षारोपण मौसम के दौरान 64.44 लाख रूपये की लागत से 11.62 लाख पौधे लगाये गये थे। पौधों का अतिजीवन 22 से 52 प्रतिशत था, फलतः पौधों के अतिजीवन की विहित दर के संदर्भ में 15.02 लाख रूपये (परिशष्ट - XVIII) की हानि हुई।

पौधा के कम अतिजीवन का अर्थ है सार्वजनिक धन की हानि और जिसकी जाँच की आवश्यकता थी।

(vi) वन पथों की अनधिकृत मरम्मत

प्रत्येक वर्ष साधारण/विशेष मरम्मत के लिए आवश्यक वन पथों की सूची संबंधित सी एफ को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जाती है।

बिना स्वीकृति के अनधिकृत सड़क मरम्मत पर 73.90 लाख रूपये का व्यय।

नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि 14 प्रमंडलों[10] में 1997-02 के दौरान बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के वन पथों की मरम्मत की गई, फलतः 73.90 लाख रूपये का अनधिकृत व्यय हुआ।

(vii) सीमा स्तंभ के निर्माण पर अनधिकृत व्यय

डी एफ ओ द्वारा अनुमोदित दर, विनिर्देश और निर्मित किये जाने वाले स्तंभों की संख्या के साथ सी एफ की स्वीकृति के विरूद्ध अनुसूचित वन क्षेत्र में वन सीमा बनाया जाना था।

बिना स्वीकृति के लकड़ी और सीमा स्तम्भ के अनधिकृत निर्माण पर 32.52 लाख रूपये का व्यय हुआ।

नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि 10 प्रमंडलों[11] में डी एफ ओ ने अनाधिकृत रूप से विनिर्देश परिवर्तित कर दिया और 1998-2001 के दौरान स्वीकृत आर सी सी स्तंभों के विरूद्ध लकड़ी का स्तंभ निर्मित कराया जिसपर 32.52 लाख रूपये का अनधिकृत व्यय हुआ।

(viii) सड़क किनारे वृक्षारोपण

झारखंड सरकार ने 2000-01 में सड़क किनारे वृक्षारोपण (95 किमी. कांटेदार तार के घेरे के साथ अनुरेख वृक्षारोपण और 23345 गोलाकार वृक्षारोपण) के लिए 3.92 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी (फरवरी 2001) जिसे 2000-01 के दौरान 23 प्रमंडलों द्वारा लगाया जाना था। निधि की उपयोगिता की सीमा और भौतिक उपलब्धि का पता नहीं लगाया जा सका क्योंकि इस संबंध में सी सी एफ (विकास) को बार-बार स्मारित किये जाने पर भी उसे लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं किया गया।

विभिन्न अनियमितताओं के कारण सड़क किनारे वृक्षारोपण में 80.49 लाख रूपये का अनियमित व्यय।

तथापि, 9 (23 में से) प्रमंडलों की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि कार्यान्वयन में विसंगति के फलस्वरूप 57.18 लाख रूपये[12] का अनियमित व्यय हुआ।

---

[10] पोराहाट प्रमंडल, चाईबासा, चतरा दक्षिणी प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा, चाईबासा उत्तरी प्रमंडल डालटेनगंज दक्षिणी प्रमंडल, गढ़वा उत्तरी प्रमंडल, गढ़वा दक्षिणी प्रमंडल, गिरिडीह प्रमंडल, गुमला प्रमंडल, दुमका प्रमंडल, हाजारीबाग पूर्वी प्रमंडल, कोडरमा प्रमंडल, लातेहार प्रमंडल और धालभूम प्रमंडल, जमशेदपुर।

[11] चतरा दक्षिणी, डालटेनगंज उत्तरी, गढ़वा दक्षिणी, गुमला, देवघर, लोहरदगा, हजारीबाग पश्चिमी, राँची पूर्वी, पोराहाट प्रमंडल, चाईबासा और चाईबासा उत्तरी प्रमंडल।

[12]

वन रोपण प्रमंडल, हजारीबाग और वन प्रमंडल, बोकारो	31 मार्च से 6 मई 2001 के मध्य खरीदे गये घेराबन्दी स्तंभ का उपयोग करते हुए 25 से 31 मार्च 2001 के मध्य घेराबन्दी कार्य पूरा होना दिखाया गया। (निहित राशि 5.10 लाख रूपये) ।
वन अनुसंधान पदाधिकारी, राँची	क्रय समिति द्वारा अनुमोदित आपूर्तिकर्ता से भिन्न अपूर्तिकर्ता से सड़क किनारे वृक्षारोपण में 6000 लोहे का घेरा 29.10 लाख रूपये का क्रय।

उसी प्रकार के एक मामले में डी एफ ओ, कोडरमा द्वारा फरवरी-मार्च 2002 के दौरान 23.31 लाख रूपये की लागत से घेरे के साथ सड़क किनारे वृक्षारोपण अग्रिम कार्य (2001-02) सम्पूरित दिखाया गया। फिर भी भंडार लेखा की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि मार्च के अंत में प्राप्त सामानों (कांटेदार तार/फेन्सिग पोस्ट) सिर्फ 31 मार्च 2002 को कार्य के लिए निर्गत किया गया। डी एफ ओ ने कोई उत्तर नहीं दिया।

(ix) स्थायी नर्सरी का निर्माण

स्वीकृत दरों से अधिक देने के कारण 15.27 लाख रूपये का अनियमित व्यय और 3.90 लाख रूपये के सामान क्रय से पूर्व ही उपयोग में लाये गये।

सरकार ने 3.53 करोड़ रूपये राज्य के 45 वन प्रमंडलों द्वारा पौधा उगाने के लिए 100 स्थायी नर्सरी, प्रत्येक एक हेक्टेयर के क्षेत्र में, के निर्माण के लिए स्वीकृति दी (मार्च 2001)। 12 प्रमंडलों[13] द्वारा मार्च 2001 के भीतर 1.06 करोड़ रूपये की लागत से संपन्न किये गये 30 नर्सरी से संबंधित अभिलेखों की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि इन प्रमंडलों द्वारा 19.17 लाख रूपये का अनियमित व्यय किया गया और कार्य संपन्नता, जैसा प्रतिवेदित किया गया, शक से परे नहीं थी। अनियमित व्यय में विभिन्न वस्तुओं पर सक्षम पदाधिकारी द्वारा स्वीकृत दर से अधिक दर पर 15.27 लाख का किया गया व्यय और 3.90 लाख रूपये मूल्य के निर्माण वस्तुओं जैसे सिमेंट, बालू, कांटेदार तार, लोहे का सामान, पौलिथिन ट्यूब्स आदि का कार्य में 31 मार्च 2001 के पूर्व उपयोग किया गया व्यय निहित था यद्यपि खरीद 31 मार्च और जुलाई 2001 के मध्य की गयी थी।

(x) मांग का सृजन नहीं होने के कारण क्षतिपूरक वनरोपण का निष्पादन नहीं किया जाना

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अनुसार, विहित दर से क्षतिपूरक वन रोपण का परिव्यय वन भूमि के विचलन/वन उद्येश्यों से भिन्न के लिए वन भूमि के विचलन के

देवघर वन प्रमंडल, देवघर	स्वीकृत आकलन में गड्ढों के बदले 28000 टीला बनाने में 2.73 लाख रूपये का अधिक व्यय।
सामाजिक वानिकी प्रमंडल, दुमका	2 से 6 फीट के अपेक्षित आकार के विरूद्ध अवमानक पौधे (2'' से 4'') की खरीद उच्च मर्त्यता दर का कारण था। (निहित राशि 4.50 लाख रूपये)
लातेहार वन मंमंडल, वन रोपण प्रमंडल, चाईबासा और हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल	फल के पौधों के लिए 5.40 लाख रूपये का प्रावधान किया गया था, किन्तु 3.98 लाख रूपयेनर्सरी कार्य में विचलन किया गया जो प्राक्कलन में सन्निहित नहीं था।
वन प्रमंडल, देवघर और हजारीबाग पश्चिमी प्रमंडल	20000 पोधों की खरीद पर 0.63 लाख रूपये का अधिक व्यय।
लातेहार वन प्रमंडल और दुमका वन प्रमंडल	सितम्बर 2001 में डी एफ ओ द्वारा निरीक्षण करने पर अवमानक लकड़ी स्तंभ खरीद उद्घटित (निहित राशि 10.37 लाख) ।
वन रोपण प्रमंडल, चाईबासा और सामाजितक वानिकी प्रमंडल, दुमका	30 किमी. में वृक्षारोपण कार्य पर 0.77 लाख रूपये के मिट्टी कार्य पर अधिक व्यय किया गया।

[13] डी एफ ओ, बोकारो, चतरा (दक्षिणी), देवघर,, पलामू, हजारीबाग (पश्चिमी), कोल्हान, लातेहार, पोराहाट, वनरोपण प्रमंडल, चाईबासा, एफ आर ओ राँची और एस एफ प्रमंडल, दुमका एवं सिमडेगा।

क्षतिपूरक वनरोपण हेतु 72.28 लाख रूपये की माँग नहीं हुई

लिए पट्टा के नवीकरण और अन्य निरावृत वन क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के कार्यान्वयन के विरूद्ध प्रयोक्ता अभिकरण से वसूल किया जाना है।

जाँच से उद्घटित हुआ कि सारन्डा वन प्रमंडल, चाईबासा के अधीन पड़ने वाले अजीताबुरू (मनोहरपुर लौह अयस्क खान) में 153.036 हेक्टेयर वन भूमि के खनन पट्टे को मेसर्स स्टील आथरिटी ऑफ ईंडिया लि. के पक्ष में नवीकरण के लिए पी सी सी एफ ने सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया (दिसम्बर 1999) । यद्यपि पूर्व पट्टा 6.12.1977 को समाप्त हो गया था और खनन कार्य बन्द कर दिया गया था, वन भूमि अन्य प्रयोजनों जैसे पे ब्रीज, क्रशर्स, जल पोषित पौधों ओर अन्य प्रशासनिक उद्येश्यों के लिए प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा लगातार उपयोग किया जा रहा था। उक्त अधिनियम के प्रावधानों और भारत सरकार के निदेशों (सितम्बर 1997) के अनुसार पी सी सी एफ ने पट्टे के नवीकरण के लिए प्रयोक्ता अभिकरण से अनुपूरक वनरोपण की कीमत की वसूली के संबंध में निम्नलिखित शर्तें प्रस्तावित की :-

(क) अवक्रमित वनों के पुनर्वास के अधीन 119.87 हेक्टेयर में वनरोपण लागत का दुगुना प्रयोक्ता अभिकरण को भुगतान करना होगा।

(ख) सुरक्षित क्षेत्र में 33.158 हेक्टेयर में वन रोपण लागत का डेढ़ गुणा और

(ग) उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्रशासनिक उद्येश्य से उपयोगित 37.86 हेक्टेयर में सामान्य लागत का दुगुना दांडिक वन रोपण लागत।

तदनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण से 72.28 लाख रूपये (19791.61 रूपये प्रति हेक्टेयर की वर्त्तमान दर पर संगणित) वसूलना था।

तथापि लेखापरीक्षा की तिथि (मार्च 2003) तक प्रयोक्ता अभिकरण के विरूद्ध कोई मांग सृजित नहीं की गयी, फलतः क्षतिपूरक वन रोपण का निष्पादन नहीं हुआ।

3.1.5.2 वनरोपण की लागत का उद्ग्रहण नहीं होना

(i) भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, नई दिल्ली ने बिहार सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग को केन्दाडीह खनन पट्टे में प्रयोक्ता अभिकरण मेसर्स हिन्दुस्तान कॉपर लि. से 97.38 हेक्टेयर अवक्रमित वन भूमि पर दांडिक क्षतिपूरक वनरोपण आरोपित करने का निर्देश दिया (दिसम्बर 1999)। तदनुसार डी एफ ओ धालभूम वन प्रमंडल, जमशेदपुर ने फरवरी 2000 में प्रयोक्ता अभिकरण के विरूद्ध 19.27 लाख रूपये (19791.61 प्रति हेक्टेयर की वर्त्तमान दर पर संगणित) की मांग सृजित की, किन्तु, उसे लेखापरीक्षा की तिथि तक (मई 2002) तक वसूला नहीं गया।

2 अभिकर्त्ताओं से 5.48 करोड़ रूपये का उद्ग्रहण नहीं हुआ।

(ii) वन रोपण प्रमंडल, हजारीबाग के अभिलेखों की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि 1997-2000 के दौरान सेन्ट्रल कोलफील्ड लिमिटेड (सी सी एल) द्वारा निर्गत 6.53 करोड़ रूपये के कार्यादेश के विरूद्ध 5.96 करोड़ रूपये की लागत से भूमि संरक्षण के लिए 974.7 हेक्टेयर पर वृक्षारोपण और 64.11 किमी. में सड़क किनारे वृक्षारोपण किया गया। किन्तु उक्त तिथि (मई 2002) तक सिर्फ 4.70 करोड़ रूपये प्राप्त किया गया और 1.26 करोड़ रूपये वसूला नहीं गया। डी एफ ओ द्वारा किये गये पत्राचार की जाँच से तदन्तर उद्घटित हुआ कि 1997-98 के पूर्व किये गये वृक्षारोपण के संदर्भ में उसी अभिकरण (सी सी एल) से 1.14 करोड़ रूपये की अतिरिक्त राशि भी बाकी थी।

उसी तरह के एक मामले में, पी सी सी एफ, झारखण्ड के अभिलेखों की जाँच से उद्घटित हुआ कि 1984-91 के दौरान हजारीबाग और गिरिडीह वनरोपण प्रमंडल द्वारा किये गये वनरोपण कार्य पर मेसर्स डी भी सी से 3.08 करोड़ रूपये बकाया था।

3.1.5.3 वन्य जीव संरक्षण एवं उसका विकास

(i) हाथी परियोजना

निधि का कम उपयोग होने के फलस्वरूप योजना विफल

हाथी परियोजना के अंतर्गत 1997-02 के दौरान निधि के बहाव और व्यय के नमूना परिशीलन से उद्घटित हुआ कि भारत सरकार से प्राप्त 1.81 करोड़ रूपये[14] में से सिर्फ 86.11 लाख रूपये (47 प्रतिशत) का उपयोग किया गया।

10 प्रमंडलों[15] में अभिलेखों की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि यद्यपि 1997-2000 के दौरान 97.5 किमी. में बिजली के घेरे के निर्माण और अन्य विविध कार्यों के लिए 48.51 लाख रूपये उपलब्ध कराये गये थे, किसी भी प्रमंडल में बिजली का घेरा नहीं बनाया गया था। 6 (10 में से) प्रमंडलों[16] में 32.5 किमी. बिजली के घेरे के अधिष्ठापन के लिए बंगलोर अवस्थित अभिकरण को 6.70 लाख रूपये का अग्रिम दिया गया (मार्च 1998) किन्तु किसी भी प्रमंडल में कार्य कार्यान्वित नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त 5 डी एफ ओ[17] ने अन्य प्रयोजनों यथा मजदूरी के भुगतान, घेरे के निर्माण आदि के लिए

14

1997-98	भा.स. से प्राप्त 43.10 लाख रूपये का समग्र निधि व्यय कर दिया गया (बजट प्रावधान - 250 लाख रूपये)
1998-99	भा.स. से प्राप्त 40 लाख रूपये में से कोई व्यय नहीं किया गया (बजट प्रावधान - 100 लाख रूपये)
1999-2000	भा.स. से प्राप्त 40 लाख रूपये में से 22.84 लाख रूपये व्यय किया गया (बजट प्रावधान - 250 लाख रूपये)
2000-01	भा.स. से प्राप्त 31 लाख रूपये में से 0.48 लाख रूपये व्यय किया गया (बजट प्रावधान 150 लाख रूपये)
2001-02	भा.स. से प्राप्त 27.21 लाख रूपये में से 19.69 लाख रूपया व्यय किया गया (बजट प्रावधान 200 लाख रूपये)

15 चाईबासा दक्षिणी, गुमला, हजारीबाग पूर्वी, हजारीबाग पश्चिमी, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा, लातेहार, राँची पूर्वी, पोराहाट प्रमंडल, चाईबासा, धालभूम प्रमंडल, जमशेदपुर और वन्य जीवन प्रमंडल, राँची।

16 1. वन्य जीवन प्रमंडल, राँची, 2. चतरा दक्षिणी, 3. गुमला, 4. हजारीबाग पूर्वी, 5. हजारीबाग पश्चिमी, 6. लातेहार।

17 चतरा दक्षिणी (2.08 लाख रूपये) हजारीबाग पूर्वी (1.80 लाख रूपये), हजारीबाग पश्चिमी (0.22 लाख रूपये), लातेहार (0.25 लाख रूपये) और वन्यजीवन प्रमंडल, राँची (3.88 लाख रूपये)।

8.23 लाख रूपये का विचलन किया (1997-98) और 3 डी एफ ओ[18] ने पटाखे के अलेखापित क्रय पर 2.62 लाख रूपये का व्यय किया (1999-2000)। किसी भी मामले में गणना और हाथी के गलियारे का अनुश्रवण सहाय्य कैंप के निर्माण और लघु सिंचाई सुविधाओं का निष्पादन नहीं किया गया था।

परियोजना की विफलता इस बात से इंगित होती है कि पी सी सी एफ, झारखंड द्वारा जंगली जानवरों से पीड़ितों को विहित क्षतिपूर्ति के भुगतान पर व्यय पूर्ववर्त्ती दो वर्षों में 20 लाख रूपये और 15 लाख रूपये से बढ़कर 2000-01 में 58.75 लाख रूपये हो गये।

(ii) व्याघ्र परियोजना

भारत पर्यावरण-विकास परियोजना का लक्ष्य सात सार्वभौमिक महत्वपूर्ण सुरक्षित क्षेत्रों में विविध जीवों की रक्षा करना है। पलामू व्याघ्र आरक्षित क्षेत्र परियोजना के अंतर्गत चयनित सात सुरक्षित क्षेत्रों में से एक है। 1996-97 के दौरान इस परियोजना को प्रारंभ किया गया था और शत प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना - विश्व बैंक सहायता प्राप्त के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के आधार पर निधि मुक्त किया गया था।

1997-2002 के दौरान निधि की उपयोगिता निम्न प्रकार थीः-

(लाख रू. में)

वर्ष	भा.स. द्वारा अनुमोदित राशि	प्रारंभिक शेष	मुक्त की गयी राशि (प्रथम किस्त)	कुल निधि	व्ययित राशि	अव्ययित शेष	उपलब्ध राशि से व्ययित राशि की प्रतिशतता
1997-98	148.90	22.60	50.00	72.60	शून्य	72.60	शून्य
1998-99	633.09	72.60	90.03	162.63	61.14	101.49	38
1999-2000	1195.92	101.49	200.00	301.49	126.78	174.71	38
2000-2001	667.41	174.71	124.99	299.70	90.67	209.03	30
2001-2002	763.49	34.33*	325.67	360.00	262.09	97.91	73

(स्त्रोतः भा.स. का पत्र जिसके द्वारा अनुमोदित संचालन की वार्षिक योजना)

प्रथम किस्त की कम उपयोगिता के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा अनुवर्त्ती किस्तों को मुक्त नहीं किया गया। 1997-2002 के दौरान उपलब्ध निधि में से, विभाग द्वारा मात्र 0 से 73 प्रतिशत ही व्यय किया गया जो व्याघ्र परियोजना की मन्द प्रगति को दर्शाता है।

[18] राँची पूर्वी (1.92 लाख रूपये),धालभूम प्रमंडल, जमशेदपुर (0.60 लाख रूपये) और पोराहट प्रमंडल, चाईबासा (0.10 लाख रूपये)।

* लेखापरीक्षा द्वारा पता लगाने पर आरम्भिक शेष और भ.स. के अनुमोदित पत्र में दिखायी गयी राशि में 174.70 लाख रूपये की विसंगति थी। तथापि, विभाग ने विसंगति के समाधान हेतु कोई कार्रवाई नहीं की।

(iii) बेतार प्रणाली की स्थापना पर निष्फल व्यय

94.24 लाख रूपये व्यय के बावजूद बेतार प्रणाली लगाने में विफलता।

माननीय उच्च्तम न्यायालय ने 23 अगस्त 1997 के अपने अन्तरिम आदेश में (डब्लू पी संख्या 337/95 पर्यावरण कानून के लिए केन्द्र द्वारा दाखिल, डब्लू डब्लू एफ - 1) राज्य सरकार को मृग-वनों/राष्ट्रीय उद्यानों में बढ़ते अनधिकार शिकार पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए वन रक्षकों को आधुनिक हथियारों और सूचना सुविधायें जैसे बेतार सेट्स और आवश्यक उपकरण मुहैया कर 6 महीने के भीतर आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया था।

राज्य सरकार ने 18 महीने समाप्त होने के बाद सभी 21 मृगवनों और 2 राष्ट्रीय उद्यानों में बेतार तंत्र की स्थापना के लिए 1.42 करोड़ रूपये मुक्त किया (फरवरी 1999)। सी सी एफ (विकास) ने बेतार उपकरणों के क्रय (62.03 लाख रूपये), बेतार टावर खड़ा करने (16.62 लाख रूपये) और 3 मारूति जिप्सी प्राप्त करने (10.50 लाख रूपये) के लिए 89.15 लाख रूपये खर्च किये (31 मार्च 1999) । इसके अतिरिक्त सी सी एफ (वन्य जीव) और 4 आर सी सी एफ को निर्माण कार्यों और वन रक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के लिए 39.24 लाख रूपये आवंटित किये गये जिसके विरूद्ध पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय, हजारीबाग को दिये गये 4.14 लाख रूपये अग्रिम सहित सिर्फ 15.59 लाख रूपये का उपयोग वित्तीय वर्ष के दौरान किया जा सका। तदन्तर, 10.14 लाख रूपये के प्रावधान के विरूद्ध 507 दूरबीन की भी खरीद नहीं की गयी यद्यपि क्रय समिति द्वारा अनुमोदित था।

सी सी एफ (विकास) के अभिलेखों की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि पूर्ण परिचालित बेतार तंत्र की आपूर्ति और स्थापना के लिए नियुक्त अभिकरण (मेसर्स ओसियन इलेक्ट्रोनिक्स, नई दिल्ली) ने प्रत्येक 100 फीट की आवश्यक ऊँचाई के विरूद्ध 20 से 40 फीट ऊँचा 34 (42 में से) बेतार टावर लगाया, यद्यपि कार्य के लिए पूरा भुगतान (16.12 लाख रूपये) अग्रिम में किया गया था (31 मार्च 1999)। यह कार्यादेश की शर्तों एवं बंधों के विपरीत था जिसमें बेतार तंत्र की संतोषप्रद स्थापना के बाद ही भुगतान करने पर विचार करना था। बेतार टावर की स्थापना नहीं किये जाने के कारण उस उद्येश्य से क्रय किये गये (62.03 लाख रूपये) बेतार उपकरणों का भी उपयोग नहीं किया जा सका।

उपकरणों के आपूर्तिकर्त्ता (मेसर्स मोटोरोला ईंडिया लि.) के तकनीकी विशेषज्ञ के साथ एक ए सी एफ द्वारा 17 बेतार केन्द्र की नमूना जाँच (मई तथा जून 2001) से उद्घटित हुआ कि बेतार तंत्र ने कुछ जगहों को छोड़कर जहाँ तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा अस्थायी रूप से इसे सक्रिय किया गया, ठीक तरह से काम नहीं किया। विशेषज्ञों द्वारा सुझाये गये (जून 2001) संशोधन उपायों को भी नहीं किया गया (अक्टूबर 2002)।

चूँकि उक्त तिथि तक (अक्टूबर 2002) सक्रियित बेतार तंत्र स्थापित नहीं किया गया 94.24 लाख रूपये का व्यय निष्फल हुआ। पी सी सी एफ, झारखण्ड ने उत्तर में कहा (जनवरी 2002) कि बेतार तंत्र प्राप्ति में कोई अनियमितता नहीं थी और बेतार तंत्र

सक्रिय था तथा माननीय उच्चतम न्यायालय की आकांक्षा को पूर्णरूपेण पूरा किया गया। उसी समय पी सी सी एफ ने स्वीकार किया कि वन रक्षकों को प्रशिक्षण देना अभी बाकी है। तथापि, अभिलेखों की नमूना जाँच से लेखा परीक्षा के निष्कर्ष के आलोक में पी सी सी एफ का दावा मान्य नहीं है।

3.1.6 पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण प्रबंधन

पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण प्रबंधन की कोई योजना प्रारम्भ नहीं

पारिस्थितिकी संतुलन की पुनर्स्थापना सहित पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण प्रबंधन भारतीय वन नीति, 1988 का एक घोषित उद्येश्य था। तथापि, 1997-2002 के बजट प्रावधानों से यह देखा गया कि विभाग ने पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी संतुलन के पुनर्स्थापन के लिए कोई योजना प्रारम्भ नहीं की। फलतः विभाग द्वारा यह कार्य नहीं किया गया।

3.1.7 बिना लाभकर उपयोग के कर्मचारी व्यय

बिना किसी लाभकर उपयोग के बैठे कर्मचारियों पर 54.56 लाख रूपये का व्यय

सरकार द्वारा 1985-86 में स्वीडीश अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (एस आई डी ए) योजना के अंतर्गत 6 वर्षों के लिए कृषि वानिकी पर वैज्ञानिक तरीके से लक्षित सामाजिक वानिकी अनुसंधान एवं मूल्यांकन प्रमंडल, राँची की स्थापना की गयी। योजना के अंतर्गत इसकी शर्तों की समाप्ति के बाद प्रमंडल को 'अवक्रमित वनों के पुनर्वास' के अंतर्गत सरकार की स्वीकृति के विरूद्ध अस्थायी आधार पर जारी रखा गया। जाँच (जनवरी 2002) से पता चला कि 1994-95 से इसने इस प्रकार कोई कार्य नहीं किया। इस प्रकार 1994-2002 के दौरान 54.56 लाख रूपये के वेतन के भुगतान पर किया गया खर्च अलाभकर था। संबंधित डी एफ ओ ने कहा कि इस प्रमंडल को निधि की कमी के कारण किसी भी परियोजना की स्वीकृति नहीं दी गयी थी।

उसी प्रकार, वन विभाग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए 1986 में निर्मित वन प्रशिक्षण विद्यालय, महिलौंग, राँची ने 1998-99 से लेखापरीक्षा की तिथि तक (जनवरी 2002 कोई भी प्रशिक्षण नहीं दिया फलतः 1998-2001 के दौरान निष्क्रिय कर्मचारियों के वेतन पर 41.52 लाख रूपये का अलाभकर व्यय हुआ। निदेशक, प्रशिक्षण विद्यालय ने मामला यह कहकर स्वीकारा कि कोई वनपाल/वन रक्षक उपलब्ध नहीं था क्योंकि उस समय से कोई भी नई बहाली नहीं हुई थी। तथापि, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम 2001-02 से प्रारम्भ किये जाने की बात कही गयी (अप्रैल 2003)।

3.1.8 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

राज्य स्तर पर योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन और पी सी सी एफ, झारखण्ड के माध्यम से सरकार को प्रतिवेदित करने के लिए उत्तरदायी राँची में 4 प्रमंडलों सहित एक अनुश्रवण अंचल है।

यद्यपि अनुबंध था, अनुश्रवण और मूल्यांकन कार्य पूर्णतः समाप्त

तथापि, योजनाओं का अनुश्रवण जैसा कि पी सी सी एफ द्वारा निर्गत (जनवरी 2002) नये मार्गदर्शन में बल दिया गया था, नहीं किया जा रहा था। इसकी पुष्टि इस बात से होती है कि उप वन संरक्षक, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कोषांग ने कहा (सितम्बर 2002) कि विभिन्न योजनाओं के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के परिणाम और अनुवर्ती कार्रवाई से संबंधित कोई अभिलेख कोषांग में नहीं था।

विभाग ने वन रोपण, वन्य प्राणियों को संरक्षण और विद्यमान वन पर भूमि संरक्षण कार्य के अन्य संबंधित क्षेत्रों के लिए संपन्न किये गये कार्यों के संपूर्ण प्रभाव का मूल्यांकन नहीं किया। आजतक किसी अन्य अभिकरण द्वारा मूल्यांकन नहीं कराया गया (सितम्बर 2002)।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2002 और अप्रैल 2003); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2003)।

ग्रामीण विकास विभाग

3.2 ग्रामीण आवास योजना (इंदिरा आवास योजना)

विशिष्टताएँ

इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसका लक्ष्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मुक्त बंधुआ मजदूरों और गरीबी रेखा के नीचे रहनेवाले (वी पी एल)गैर अ जा/अ ज जा के निर्धन ग्रामीण व्यक्तियों को आवास उपलब्ध कराना है। योजना का कार्यान्वयन दयनीय था और मार्च 2002 तक लक्षित आवासों का 68 प्रतिशत अपूर्ण था। यहाँ तक कि संपूर्ण केन्द्रीय निधियों का उपयोग नहीं किया गया। निधियों का विचलन/दुरूपयोग, अनियमित व्यय, कार्य का परिसर्जन आदि के मामले थे। पूरक योजनाओं जैसे समग्र आवास योजना (एस ए वाई), ग्रामीण भवन केन्द्र (आर बी सी) और ग्रामीण आवास एवं विकास (आई एस आर एच एच डी) के लिए अभिनव योजना के मामले में केन्द्रीय निधियों के लिए राज्य सरकार ने कोई प्रस्ताव नहीं भेजा।

उपलब्ध निधियों का 19 से 34 प्रतिशत उपयोग नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप 117.39 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता की हानि हुई और आवासों के उन्नयन के लिए 40 से 77 प्रतिशत उपलब्ध निधियाँ अनुपयोगित रहीं।

[कंडिका 3.2.5 (i)(क)(i)]

नमूना जाँच किये गये जिलों में अन्य योजनाओं में विचलन (1.66 करोड़ रूपये) आई ए वाई निधियों का दुरूपयोग (8.90 लाख रूपये), लाभुकों की योजना पंजी और आई ए वाई की रोकड़ पंजी में दर्शाये गये व्यय की राशि में विसंगति (1.44 करोड़ रूपये) और अनधिकृत व्यय (18.60 लाख रूपये) देखा गया।

[कंडिका 3.2.5 (i)(ख)(ii)(iii)]

321233 आवासों के लक्ष्य के विरूद्ध 240981 आवास पूरा किया गया। इसमें से मात्र 198 में धुआँरहित चूल्हा और 590 स्वच्छ शौचालयों का निर्माण किया गया। 28786 आई ए वाई मकानों को परिवार के 'पुरूष' सदस्य के नाम से आबंटित किया गया जो आई ए वाई के मानकों के विरूद्ध था।

[कंडिका 3.2.5 (ii)(क)(ii)(iii)(iv)]

4 जिलों के 12 प्रखण्डों में, 6.76 करोड़ रूपये व्यय करने के बाद भी 4579 आवास 2 से 5 वर्षों तक अधूरा रहा। 4 जिलों के 10 प्रखण्डों में 9.25 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित 5464 मकानों को उन व्यक्तियों को आबंटित किया गया जो वी पी एल परिवारों के नहीं थे। धनबाद जिला में 7023 लाभुकों को 1.76 करोड़ रूपये का कम भुगतान किया गया।

[कंडिका 3.2.5 (ii)(ख)(ii)(iii)(v)]

3.2.1 प्रस्तावना

अनुसूचित जाति (अ जा), अनुसूचित जनजाति (अ ज जा) के लोगों, ग्रामीण क्षेत्रों में मुक्त बंधुआ मजदूरों और गरीबी रेखा के नीचे (वी पी एल) रहने वाले गैर अ जा/अ ज जा के निर्धन ग्रामीणों को आवास मुहैया कराने के उद्येश्य से 1985-86 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना (आर एल ई जी सी) के एक अंग के रूप में इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई), एक केन्द्र प्रायोजित योजना प्रारंभ की गयी। अप्रैल 1989 से यह जवाहर रोजगार योजना (जे आर वाई) का अंग बन गया और जनवरी 1996 से इसे जे आर वाई से हटा कर एक स्वतंत्र योजना बना दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों/परिवारों/रक्षा सेवाओं के कर्मचारियों की विधवाओं/युद्ध में मारे गये अर्द्धसैनिक बलों के जवानों/पूर्व सैनिकों और सेवानिवृत्त अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों को भी इस योजना के अंतर्गत लाभ उपलब्ध कराया गया था।

तदन्तर आई ए वाई में निम्नलिखित ग्रामीण आवास योजनाओं को जोड़ा गयाः-

(i) ग्रामीण आवासों के लिए - ऋण सह आर्थिक सहायता योजना (सी सी एस एस) (1999-2000)
(ii) प्रधान मंत्री ग्रामोदय योजना (पी एम जी वाई) (2000-01)
(iii) समग्र आवास योजना (एस ए वाई) (1999-2000)
(iv) ग्रामीण आवास एवं निवास विकास के लिए नई योजना (आई एस आर एच एच डी) (1999-2000)
(v) ग्रामीण भवन केन्द्रों की स्थापना (एस आर बी सी) (1999-2000)

3.2.2 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

22 जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों (डी आर डी ए) में से 6[1] और उनके अधीन 73 प्रखण्डों में से 18[2] के साथ-साथ आयुक्त सह सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (आर डी डी), झारखण्ड के 1997-02 वर्षों के अभिलेखों की नमूना जाँच दिसम्बर 2001 और जून 2002 के मध्य की गई।

[1] देवघर, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गुमला और राँची।

[2] देवघर (देवघर सदर, मोहनपुर और सरवन), धनबाद (बलियापुर और धनबाद सदर), दुमका (दुमका सदर, गोपी कान्दार और काठीकुन्ड), पूर्वी सिंहभूम (चकुलिया, धालभूमगढ़ और जमशेदपुर सदर), गुमला (जलडेगा, कोलिबेरा, कुरदेग और ठेठाई टांगर), राँची (नामकुम, रनिया और सिल्ली)।

3.2.3 संगठनात्मक ढांचा

राज्य के आयुक्त-सह-सचिव, आर डी डी, राज्य में आई ए वाई योजना को कार्यान्वित करने के लिए पूर्णरूपेण उत्तरदायी थे। जिला स्तर पर डी आर डी ए के अध्यक्ष के रूप में उपायुक्त (डी सी) प्रधान होते हैं जिन्हें उप विकास आउक्त (डी डी सी) का सहयोग प्राप्त होता है और प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (बी डी ओ) ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी थे।

3.2.4 योजना का निधिकरण

आई ए वाई के अंतर्गत निधियों का बँटवारा केन्द्र एवं राज्य सरकार के मध्य 31 मार्च 1999 तक 80:20 के अनुपात में था, 1 अप्रैल 1999 से अनुपात का पुनरीक्षण 75:25 कर दिया गया। केन्द्रीय सहायता प्रत्येक वर्ष सीधे डी आर डी ए को दो किस्तों में विमुक्त की गई। इसके अतिरिक्त, आई ए वाई निधियों पर अर्जित सूद की राशि को आई ए वाई निधि के कोष का भाग माना जाता था।

3.2.5 राज्य स्तर पर भौतिक और वित्तीय प्रगति

3.2.5(i)(क) वित्तीय परिव्यय एवं नव निर्माण और उन्नय पर व्यय

प्राप्त केन्द्रीय सहायता, विमुक्त राज्यांश और उपगत व्यय निम्नलिखित थे :-

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		निधि का आवंटन/विमुक्ति				अन्य प्राप्तियाँ		कुल उपलब्ध निधि		व्यय		अनुपयोगित शेष (प्रतिशत)	
	नवनिर्माण	उन्नयन	केन्द्रीय		राज्य		नवनिर्माण	उन्नयन	नवनिर्माण	उन्नयन	नवनिर्माण	उन्नयन	नवनिर्माण	उन्नयन
			नवनिर्माण	उन्नयन	नवनिर्माण	उन्नयन								
1997-1998	24.12	--	86.32	--	20.26	--	--	--	130.70	--	97.95	--	32.75 (25)	--
1998-1999	40.69*	--	102.51	--	27.12	--	--	--	170.32	--	111.87	--	58.45 (34)	--
1999-2000	79.59*	--	42.39	10.07	24.80	5.84	--	--	146.78	15.91	109.35	3.65	37.43 (26)	12.26 (77)
2000-2001	40.39*	12.26	36.11	8.00	11.33	2.25	--	--	87.83	22.51	71.41	13.56	16.42 (19)	8.95 (40)
2001-2002	31.35	8.95	37.36	7.88	13.47	3.17	3.70	0.24	85.88	20.24	65.08	12.16	20.80 (24)	8.08 (40)
कुल	**--**	**--**	**304.69**	**25.95**	**96.98**	**11.26**	**3.70**	**0.24**	**--**	**--**	**455.66**	**29.37**	**--**	**--**

(कोष्ठक के अंक प्रतिशत इंगित करते हैं) (आँकड़े सिर्फ झारखण्ड से संबंधित हैं।)
(स्रोतः ग्रामीण विकास विभाग का प्रगति प्रतिवेदन)

* वर्ष 1998-99, 99-2000, 2000-01 और 2001-02 के लिए क्रमशः 7.94 करोड़ रूपये, 21.14 करोड़ रूपये, 2.96 करोड़ रूपये और 14.93 करोड़ रूपये आरम्भिक शेष में बढ़ोत्तरी थी। विभाग द्वारा न तो इसका सामंजन किया गया और न ऐसी विसंगति के कारणों को ही बताया गया। इसके अतिरिक्त, विभाग के किसी भी वर्ष के प्रगति प्रतिवेदन में व्याज राशि को परिलक्षित नहीं किया गया था।

केन्द्रीय सहायता का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ।

(i) नव निर्माण हेतु उपलब्ध निधियों का 19 से 34 प्रतिशत अनुपयोगित रहा। जिसके फलस्वरूप केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय सहायता 117.39 करोड़ रूपया कम विमुक्त किया। इन वर्षों में आवासों के उन्नयन के लिए उपलब्ध निधि 40 से 77 प्रतिशत अनुपयोगित रहा।

(ii) राज्य में 2001-02 के अंत में नव निर्माण के अंतर्गत अनुपयोगित शेष 20.80 करोड़ रूपये (24 प्रतिशत) था और नमूना जाँच किये गये जिलों में सिर्फ 1.10 करोड़ रूपये (3 प्रतिशत) था। नमूना जाँच किये गये जिलों में कम बचत निधियों के विचलन के कारण था।

(iii) विभाग ने आवासों के उन्नयन हेतु उपलब्ध शेष निधि 8.08 करोड़ रूपये का उपयोग नहीं किया। इसके फलस्वरूप 53.68 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता के विरूद्ध, राज्य मात्र 25.95 करोड़ रूपये का ही उपभोग कर सका।

(ख) नमूना जाँच किये गये जिलों में निधि का आवंटन और व्यय (नव निर्माण और उन्नयन)

नमूना जाँच किये गये जिलों में निधि का आबंटन और व्यय निम्न प्रकार थाः-

(करोड़ रू. में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष		निधि का आबंटन/विमुक्ति						कुल उपलब्ध निधि		व्यय		अनुपयोगित शेष/प्रतिशत	
			केन्द्रीय		राज्य		अन्य प्राप्तियाँ							
	नव निर्माण	उन्नयन	नव निर्माण	उन्नयन	नव निर्माण	उन्नयन	नव निर्माण	उन्नयन	नव निर्माण	उन्नयन	नव निर्माण	उन्नयन	नव निर्माण	उन्नयन
1997-1998	8.07	--	41.97	--	9.39	--	1.77	--	61.20	--	43.74 (71)	--	17.46 (29)	--
1998-1999	17.46	--	48.58	--	10.88	--	3.12	--	80.04	--	60.47 (76)	--	19.57 (24)	--
1999-2000	19.57	--	21.53	4.39	11.31	2.53	3.53	--	55.94	6.92	48.45 (87)	2.79 (40)	7.49 (13)	4.13 (60)
2000-2001	7.49	4.13	17.81	4.54	5.53	1.06	10.36	--	41.19	9.73	35.65 (86)	8.20 (84)	5.54 (14)	1.53 (16)
2001-2002	5.54	1.53	16.54	2.67	6.19	1.33	5.44	--	33.71	5.53	32.61 (97)	4.27 (77)	1.10 (3)	1.26 (23)
कुल			**146.43**	**11.60**	**43.30**	**4.92**	**24.22**	**--**			**220.92 (99)**	**15.26 (92)**		

(कोष्ठक में आँकड़े प्रतिशत इंगित करते हैं)

(i) नमूना जाँच किये गये जिलों में, यह देखा गया कि नव निर्माण के लिए उपलब्ध निधि का 3 से 29 प्रतिशत अनुपयोगित रह गया। इसके अतिरिक्त, इन वर्षों में आवासों के उन्नयन के लिए उपलब्ध निधि का भी 16 से 60 प्रतिशत अनुपयोगित रह गया, मार्च 2002 के अंत तक 1.26 करोड़ रूपये का अनुपयोगित अधिशेष रह गया। निधि के उपयोग नहीं होने का विशेष कारण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

1.66 करोड़ रूपये का अन्य योजनाओं में विचलन।

(ii) (क) 3 जिलों[3] में, 1.66 करोड़ रूपये का विचलन अन्य योजनाओं में किया गया, जिनमें से 92.36 लाख रूपये मार्च 2002 तक अपूरित रह गया।

8.90 लाख रूपये का अन्य उद्देश्यों के लिए गलत उपयोग हुआ।

(ख) 2 जिलों[4] में, टेलीफोन विपत्र, गाड़ियों की मरम्मति एवं रख-रखाव और अन्य कार्यालय व्यय के भुगतान के लिए 8.90 लाख रूपये का विचलन किया गया।

आई.ए.वाई. मार्गदर्शन के बाहर मदों पर 18.60 लाख रूपये का व्यय।

(ग) डी आर डी ए, राँची में अंचल गार्ड के लिए अहाता दीवार के निर्माण (7 लाख रूपये), पुलिस पिकेट के लिए चहारदीवारी के निर्माण (1.27 लाख रूपये) और प्रखण्ड गार्ड की दीवार के निर्माण (10.33 लाख रूपये) पर 18.60 लाख रूपये का अनियमित खर्च किया गया।

रोकड़ पंजी में 1.44 करोड़ रूपये का अधिक व्यय अंकित।

(iii) देवघर जिला के 3 प्रखण्डों[5] में, रोकड़ पंजी और योजना पंजी में 1.44 करोड़ रूपये की विसंगति थी। 2337 लाभुकों को वास्तविक राशि 4.04 करोड़ रूपये का भुगतान किया गया था जबकि 5.48 करोड़ रूपये का व्यय दिखाया गया था। 1.44 करोड़ रूपये की अधिकाई व्यय की जाँच-पड़ताल आवश्यक है।

बैंक से निकासी की गयी राशि रोकड़ पंजी में नहीं आई।

(iv) धनबाद जिला के बलियापुर प्रखण्ड में, बैंक ऑफ ईंडिया के बचत बैंक पासबुक में (लेखा संख्या 258) दिखाया गया शेष आई ए वाई रोकड़ पंजी में दिखाये गये शेष से 5.39 लाख रूपये कम था (फरवरी 2002)। 1997-02 के दौरान बैंक से समय-समय पर राशि की निकासी बिना रोकड़ पंजी में दर्ज किये की गयी। तथापि संबंधित बी डी ओ, ने कहा (फरवरी 2002) कि डीजल, पेट्रोल के क्रय और गाड़ियों की मरम्मति आदि पर राशि का उपयोग किया गया। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि बिना आई ए वाई रोकड़ पंजी में समावेश किए संपूर्ण व्यय किया गया।

3.2.5 (ii) (क) नव निर्माण की भौतिक प्रगति (राज्य स्तरीय)

भारत सरकार द्वारा आवासों के लिए निर्धारित लक्ष्य और निर्मित आवासों की संख्या निम्न प्रकार थेः-

(संख्या में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	निर्धारित लक्ष्य	कुल	पूरा किये गये आवास	आवास प्रगति में	ह्रास की प्रतिशतता
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
1997-1998	48098	48363	96461	46363 (48)	50098	52
1998-1999	50098	75362	125460	52306 (42)	73154	58
1999-2000	73154	46747	119901	61506 (51)	58395	49
2000-2001	58395	47253	105648	43410 (41)	62238	59
2001-2002	62238	55410	117648	37396 (32)	80252	68
कुल		**273135**		**240981**		

(कोष्ठक में आँकड़े प्रतिशत इंगित करते हैं)

[3] दुमका (28.76 लाख रूपये), गुमला (103.49 लाख रूपये), राँची (33.66 लाख रूपये)।

[4] देवघर (0.91 लाख रूपये), धनबाद (7.99 लाख रूपये)।

[5] देवघर सदर (65.03 लाख रूपये), मोहनपुर (54.82 लाख रूपये), सरवन (23.81 लाख रूपये)

अपूर्ण आवासों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ती गयी।

(i) 1997-98 के अन्त में अपूर्ण आवासों की संख्या 50098 से धीरे-धीरे बढ़कर 2001-02 के अंत में 80252 हो गई, यद्यपि 16.42 करोड़ रूपये से 58.45 करोड़ रूपये की पर्याप्त निधि 1997-02 के दौरान अनुपयोगित रही।

निर्मित आवासों में धूँआ रहित चूल्हा और स्वच्छ शौचालय नहीं थे।

(ii) आई ए वाई योजना में विचार किया गया था कि प्रत्येक आवास में धुआँ रहित चूल्हा के साथ-साथ स्वच्छ शौचालय का प्रावधान किया जायेगा। इसका प्रावधान नहीं किया गया था और 2001-02 के दौरान मात्र 198 धुआँ रहित चूल्हा और 590 स्वच्छ शौचालय का निर्माण किया गया था। भारत सरकार ने भी राज्य सरकार को अपने संदेशों (अगस्त 2001) में इस को दोहराया था कि विनिर्मित आवास बिना स्वच्छ शौचालय सुविधा के थे।

(iii) 1997-02 के दौरान, सिर्फ 240981 आई ए वाई आवासों (75 प्रतिशत) का विनिर्माण उन वर्षों के दौरान लक्षित 321233 आवासों के विरूद्ध किया गया।

(iv) आई ए वाई दिशानिर्देश के अनुसार, आवासों को नारी सदस्यों के नाम से या विकल्पतः पति और पत्नी दोनों के नाम में संयुक्त रूप से आबंटित करना था। किन्तु 1998-02 के दौरान 28786 आई ए वाई आवासों को 'पुरूष' सदस्य के नाम में आबंटित किया गया जो आई ए वाई दिशानिर्देश के विरूद्ध था।

(ख) नमूना जाँच किये गये जिलों में परियोजना कार्यान्वयन (नव निर्माण)

आवासों के निर्माण का लक्ष्य, निर्मित आवासों की संख्या आदि निम्न प्रकार थीः-

(संख्या में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के लिए लक्ष्य	कुल	विनिर्मित आवासों की संख्या	लक्ष्य प्राप्ति में ह्रास	ह्रास की प्रतिशतता
1997-98	18966	20381	39347	21969 (56)	17378	44
1998-99	17378	39304	56682	17908 (32)	38774	68
1999-2000	38774	29337	68111	31533 (46)	36578	54
2000-01	36578	17123	53701	21532 (40)	32169	60
2001-02	32169	18176	50345	14636 (29)	35709	71
कुल		**124321**		107578		

(कोष्ठक में आँकड़े प्रतिशतता को इंगित करते हैं)

भौतिक प्रदर्शन वित्तीय प्रदर्शन के अनुरूप नहीं।

(i) नमूना जाँच किये गये जिलों में लक्षित निर्माण का सिर्फ 75 प्रतिशत ही पूरा किया गया जबकि मुहैया की गई निधि का कुल 99 प्रतिशत खर्च किया गया था, इस प्रकार भौतिक प्रदर्शन वित्तीय प्रदर्शन के अनुरूप नहीं था।

4579 आवास 2 से 5 वर्षों तक अपूर्ण/परित्यक्त रहे।

(ii) 4 जिलों[6] के 12 प्रखण्डों की नमूना जाँच में यह देखा गया कि मार्च 2001 को 4579 आवास जिसमें 6.76 करोड़ रूपये का व्यय निहित था, 2 से 5 वर्षों तक अपूर्ण/परित्यक्त रहा। वैसे अपूर्ण/परित्यक्त आवासों और उनपर निहित लागत का ब्यौरा निम्न प्रकार थाः-

[6] देवघर, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम और गुमला।

(लाख रू. में)

वर्ष	अपूर्ण/परिव्यक्त आवासों की संख्या	निहित राशि
1997-98	1289	196.56
1998-99	1460	217.70
1999-2000	1031	150.40
2000-2001	799	110.85
कुल	**4579**	**675.51**

इस प्रकार, 6.76 करोड़ रूपये का व्यय निष्फल साबित हुआ क्योंकि मार्च 2002 तक आवास अपूर्ण/परित्यक्त थे। इसने वर्षों तक आवासों के अपूर्ण/परित्यक्त रहने का कारण नहीं बताया गया।

5464 आवासों को वैसे व्यक्तियों को आबंटित किया गया जो बी पी एल परिवारों के नहीं थे।

(iii) नमूना जाँच किये गये 4 जिलों[7] के 10 प्रखण्डों में, आई ए वाई निधि से 9.25 करोड़ रूपये की लागत से 5464 आवासों का निर्माण किया गया था और सभी आवासों को उन व्यक्तियों को जो बी पी एल परिवार के नहीं थे, आबंटित किया गया।

सिमेन्ट के उपयोग को निरूत्साहित नहीं किया गया।

(iv) योजना में सिमेंट के उपयोग को निरूत्साहित करने और स्थानीय विनिर्मित चूना और चूना सुर्खी से प्रतिस्थापित करने की परिकल्पना की गयी थी। किन्तु नमूना जाँच किये गये 3 जिलों[8] के 9 प्रखण्डों में 2.57 करोड़ रूपये मूल्य की 9123.65 मी.ट. सिमेंट बी डी ओ द्वारा खरीदा एवं निर्गत किया गया। चूँकि भंडार लेखा का रख-रखाव ठीक से नहीं किया गया था, आई ए वाई लाभुकों और अन्य योजनाओं को निर्गत मात्रा का निश्चय नहीं किया जा सका। इसके अलावे, मार्च 2002 तक अन्य योजनाओं को निर्गत सिमेंट के मूल्य की प्रतिपूर्ति आई ए वाई को नहीं गयी।

7023 लाभुकों को 1.76 करोड़ रूपये का कम भुगतान हुआ।

(v) धनबाद जिले में, उपायुक्त ने प्रत्येक आवास के लिए 20,000 रूपये के मानदण्ड के विरूद्ध 17,500 रूपये की दर से 7023 लाभुकों को भुगतान किया। इसके फलस्वरूप 1.76 करोड़ रूपये का कम भुगतान हुआ।

तदन्तर, डी डी सी, धनबाद ने कम भुगतान किये गये 1.76 करोड़ रूपये में से, 1997-2000 के दौरान 146 नलकूप (बलियापुरः 100, धनबाद सदरः 40 और निरसाः 6) निजी संवेदकों द्वारा गाड़ने के लिए 28.65 लाख रूपये के भुगतान की अनुमति दी जो योजनओं के अंतर्गत मान्य नहीं था।

अग्रिमों को व्यय दिखाया गया परन्तु व्यय नहीं हुआ।

(vi) डी डी सी, दुमका मे, मार्च 2002 तक 4.16 करोड़ रूपये असमायोजित रहा।

[7] धनबाद (बलियापुर, धनबाद सदर), पूर्वी सिंहभूम (चाकुलिया, धालभूमगढ़ ओर जमशेदपुर सदर), गुमला (जलडेगा, कोलिबेड़ा, कुरदेग और ठेटईटांगड़), राँची (रनिया)।

[8] देवघर (3), धनबाद (2) और गुमला (4)।

(ग) भौतिक प्रगति (उन्नयन) राज्य स्तरीय

भारत सरकार द्वारा आवासों के उन्नयन के लिए निर्धारित लक्ष्य और उन्नयन किये गये आवासों की संख्या निम्न प्रकार थीः-

(संख्या में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	लक्ष्य	कुल	उन्नयन किया गया आवास	प्रगति में आवास
1999-2000	--	23,375	23,375	3,257 (14)	20,118 (86)
2000-2001	20,118	25,030	45,148	11,823 (26)	33,325 (74)
2001-2002	33,325	22,934	56,259	12,740 (23)	43,519 (77)
कुल		**71,339**		**27,820 (39)**	

स्रोतः आर डी डी का प्रगति प्रतिवेदन (कोष्ठक में आँकड़े प्रतिशत इंगित करते हैं।)

(i) 1999-02 के दौरान विभाग ने 71339 आवासों के कुल वार्षिक लक्ष्य के विरूद्ध सिर्फ 27820 (39 प्रतिशत) आवासों का उन्नयन कर सका।

(ii) प्रगति में आवासों की संख्या 1999-2000 के 20118 से धीरे-धीरे बढ़कर मार्च 2002 के अंत में 43519 हो गई, इन वर्षों के दौरान अपूर्ण आवासों की औसत वृद्धि 32320 थी।

(घ) नमूना जाँच किए गये जिलों की भौतिक प्रगति (उन्नयन)

आवासों के उन्नयन का लक्ष्य एवं पूर्णता निम्न प्रकार थीः-

	प्रारंभिक शेष	लक्ष्य	कुल	उन्नयन/पूर्ण किये गये आवास	प्रगति में आवास
1999-2000	--	10,128	10,128	1,972 (19)	8,156 (81)
2000-2001	8,156	10,306	18,462	6,494 (35)	11,968 (65)
2001-2002	11,968	9,654	21,622	5,000 (23)	16,622 (77)
कुल		**30,088**		**13,466 (45)**	

(कोष्ठक में आँकड़े प्रतिशत इंगित करते हैं)

(i) नमूना जाँच किए गये जिलों में, उन्नयन किये गये आवासों का विचरण 19 से 35 प्रतिशत के मध्य था, जबकि इन वर्षों में उपलब्ध निधि का 40 से 84 प्रतिशत व्यय किया गया। भौतिक प्रदर्शन वित्तीय प्रदर्शन के अनुरूप नहीं था।

(ii) मार्च 2002 के अंत तक उन्नयन किये गये अपूर्ण आवासों की संख्या 8156 से धीरे-धीरे बढ़कर 16622 हो गई, यद्यपि मार्च 2002 के अंत तक पर्याप्त निधि (1.26 करोड़ रूपये) उपलब्ध थी।

3.2.6 संपत्ति-सूची पंजी

प्रारम्भ हुए/पूर्ण आवासों की सम्पत्ति सूची पंजी का संधारण नहीं।

आई ए वाई के कार्यान्वयन अभिकरण को निर्मित आवासों की एक पूर्ण सूची पंजी, जिसमें आवासों के प्रारंभ/पूर्ण करने की तिथि, गाँव का नाम जिसमें आवास अवस्थित था, लाभुकों का नाम, पता, पेशा और वर्ग आदि का ब्यौरा निहित हो, का संधारण करना था। तथापि, किसी भी डी आर डी ए और प्रखण्डों में इस प्रकार की पंजी का संधारण नहीं किया गया था।

3.2.7 अन्य ग्रामीण आवास योजनाओं का प्रदर्शन

(i) ऋण सह आर्थिक सहायता योजना (सी सी एस एस)

ग्रामीण आवासों के लिए सी सी एस एस 1 अप्रैल 1999 के प्रभाव से प्रारंभ किया गया था। योजना में उन ग्रामीण परिवारों, जिनकी वार्षिक आय 32000 रूपया प्रति वर्ष तक थी, का लक्ष्य रखा गया था। योजनान्तर्गत आवासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता में अधिकतम 40000 रूपये ऋण का समावेश था और परिदान घटक अर्थिक सहायता 10000 रूपये तक सीमित किया गया था। योजना का सहायता भाग केन्द्र एवं राज्य द्वारा 75:25 के अनुपात में बाँटना था। ऋण भाग वाणिज्यिक बैंक/क्षेत्रीय बैंक/ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक/आवास वित्तीय संस्थान आदि द्वारा वितरित किया जाना था।

निधि का मात्र 1.35 प्रतिशत हीं उपयोग हुआ।

भारत सरकार ने 3.06 करोड़ रूपये और राज्य सरकार ने 1.02 करोड़ रूपये विमुक्त किया। इनमें से विभाग 5.55 लाख रूपये (1.35 प्रतिशत) की नगण्य राशि का उपयोग कर सका जिसके फलस्वरूप 2000-01 के दौरान केन्द्रीय सहायता 2.63 करोड़ रूपये कम कर दी गयी और 2001-02 के दौरान केन्द्रीय सहायता विमुक्त नहीं की गई।

(ii) प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (पी एम जी वाई)

पी एम जी वाई 2000-01 के दौरान प्रारम्भ की गई। योजना साधारणतया आई ए वाई के नमूना पर आधारित थी और पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित किया जाना था। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे रहनेवाले लोग, अ जा/अ ज जा से संबंद्ध, मुक्त बंधुआ मजदूरों और गैर अ ज/अ ज जा वर्ग के लोग लक्षित समूह में थे।

'ग्रामीण शरणस्थल' सहित बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के परिव्यय मुहैया करने/सुधारने के लिए योजना में राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों (यू टी को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए सी ए) का विनियोजन किया गया था। राज्य सरकार/यू टी को, उनके द्वारा विशिष्ट परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने पर, ए सी ए विमुक्त किया गया।

वित्तीय प्रदर्शनः

2000-2002 के दौरान पी एम जी वाई के अंतर्गत प्राप्त निधियाँ निम्न प्रकार थीः-

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	प्राप्त निधि	कुल उपलब्ध निधि	किया गया व्यय	अंतिम शेष	अनुपयोगित शेष की प्रतिशतता
2000-01	-	134.70	134.70	84.21 (63)	50.49	37
2001-02	50.49	44.30	94.79	43.10 (45)	51.69	55
कुल		**179.00**		**127.31**		

(कोष्ठक में आँकड़े प्रतिशतता इंगित करते हैं।) स्रोतः- आर डी डी द्वारा प्रस्तुत सूचना।

एस ए वाई/आर बी सी और आई एफ आर एच एच डी में कोई प्रदर्शन नहीं।

मार्च 2002 के अंत तक विभाग ने 51.69 करोड़ रूपये की शेष राशि का उपयोग नहीं किया।

3 योजनाओं (एस ए वाई,[9] आर बी सी[10] और आई एस आर एच एच डी[11]) के संदर्भ में केन्द्र सरकार द्वारा 1999-2000 के दौरान कोई निधि विमुक्त नहीं की गई। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची ने ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को निधि विमुक्ति के लिए कोई प्रस्ताव नहीं भेजा।

3.2.8 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

अनुश्रवण का पूर्णतः अभाव।

आई ए वाई कार्यक्रम के अनुश्रवण का दायित्व राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एस एल सी सी) और जिला स्तरीय समन्वय समिति (डी एल सी सी) का था। तथापि, यह देखा गया कि न तो एस एल सी सी और न डी एल सी सी का संगठन किया गया था जिसके अभाव में अनुश्रवण प्रचल नहीं बनाया गया। यह योजना के प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने में राज्य सरकार की अभिरूचि का पूर्णरूपेण कमी दर्शाता है।

चिन्हित मामलों के बावजूद कोई सुधारात्मक कार्य नहीं किए गए।

भारत सरकार की ओर से जैवियर ईंस्टीच्यूट ऑफ सोशल सर्विसेज (एक्स आई एस एस) राँची द्वारा योजना का मूल्यांकन किया गया था (अगस्त 2000), जिसने अन्य मामलों के साथ-साथ निम्नलिखित मामला बताया थाः-

लगभग 46 प्रतिशत आवासों के स्वामी गरीबी रेखा के ऊपर के परिवारों से थे। लाभुकों के सिर्फ एक प्रतिशत को धुँआ रहित चूल्हा और स्वच्छ शौचालय मुहैया किया गया था।

साधारणतया सभी लाभुकों ने 20000 रूपये से कम प्राप्त किया था और लगभग 54 प्रतिशत ने 15000 रूपये और 20000 रूपये के मध्य प्राप्त किया था।

---

[9] समग्र आवास योजना

[10] ग्रामीण आवास केन्द्र

[11] ग्रामीण आवास एवं निवास विकास के लिए अभिनव योजना

झारखण्ड सरकार ने एक्स आई एस एस द्वारा उठाये गये मुद्दों पर कोई सुधारक कार्रवाई नहीं की।

राज्य एवं जिला दोनों स्तर ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन के मूल्यांकन और अनुश्रवण का अभाव राज्य में योजना के निम्न प्रदर्शन में सहायक हुआ।

मामले सरकार को प्रेषित किये गये (अक्टूबर 2002 और अप्रैल 2003); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2003)।

3.3 स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना

विशिष्टताएँ:

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) एक पावन कार्यक्रम है जो स्वरोजगारीयों को बैंक से उधार एवं सरकारी सहायता के मिश्रण द्वारा आय उत्पन्न करनेवाली परिसंपत्तियाँ प्रदान करते हुए स्वरोजगार के विभिन्न पहलुओं से आच्छादित है। राज्य में कार्यक्रम का क्रियान्वयन सरकार द्वारा प्रभावकारी अनुश्रवण के अभाव एवं रूचि दिखाने में कमी के कारण लड़खड़ा गई जैसा कि उसके अपर्याप्त आबंटन के विनियोजन और उसकी उपयोगिता से स्पष्ट है। कार्यक्रम का क्रियान्वयन गरीबी रेखा के नीचे नहीं आनेवाले परिवारों को अनुचित वित्तीय सहायता के अलावे दुरूपयोग के मामले, निधियों के विचलन से प्रभावित था। 1999-2002 के दौरान इस कार्यक्रम के माध्यम से अपेक्षित 4.26 लाख स्वरोजगारियों की सहायता के लक्ष्य के विरूद्ध मात्र 1.5 लाख स्वरोजगारियों की सहायता की गई यद्यपि 42.28 करोड़ रूपये मार्च 2002 तक अनुपयोगित ही रह गये।

डी आर डी ए द्वारा उपलब्ध निधियों के कम उपयोग के फलस्वरूप 30.57 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता कम प्राप्ति हुई।

[कंडिका 3.3.5 (क)(ii)]

परिहार्य व्यय के मामलों के अलावे वाहन इत्यादि के क्रय/रख-रखाव आदि पर 63.84 लाख रूपये का दुरूपयोग किया गया।

[कंडिक 3.3.5 (ख) (ii)(ख)]

परिदान हेतु चिन्हित निधि, आवृत्ति निधि एवं प्रशिक्षण के क्रमशः 68.11 करोड़ रूपये, 11.36 करोड़ रूपये एवं 11.36 करोड़ रूपये के विरूद्ध 96.12 करोड़ रूपये, 1.45 करोड़ रूपये और 1.52 करोड़ रूपये इन घटकों पर व्यय किये गये।

[कंडिका 3.3.5 (ग)]

वित्तीय सहायता प्राप्त स्वरोजगारियों में सिर्फ 28984 (25 प्रतिशत) ही प्रशिक्षित थे एवं 75 स्वरोजगारियों को बिना प्रशिक्षण के वित्तीय सहायता दी गयी जिसने योजना को असफल बनाया।

[कंडिका 3.3.6 (क)(ii)]

गरीबी रेखा के नीचे बसर नही करने वाले परिवारो को 6.21 करोड़ रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गयी।

[कंडिका 3.3.7 (i)]

आई टी आई के निर्माण पर 44.40 लाख रूपये व्यय किया गया यद्यपि उसी प्रकार की सुविधा पहले से ही मौजूद थी एवं एक सहकारी संस्था को 17.50 लाख रूपये की अनुचित वित्तीय सहायता दी गयी।

[कंडिका 3.3.7(iv) एवं (v)]

3.3.1 प्रस्तावना

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई आर डी पी) एवं संबंधित कार्यक्रमों में अन्तर्निहित समस्याओं से निकलने हेतु भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1999 से इन कार्यक्रमों को पुर्नसंघटित, पुर्नगठित एवं पुनः नामकरण स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस जी एस वाई) के रूप में किया। एस जी एस वाई का उद्येश्य तीन वर्ष के अंदर प्रत्येक सहायता प्राप्त परिवारों को सामूहिक उपागम पर बल देते हुए उत्थान करने का था। वर्ष 2002 तक गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले परिवारों (वी पी एल) की संख्या 23.67 लाख थी।

3.3.2 संगठनात्मक ढाँचा

राज्य में एस जी एस वाई योजना के क्रियान्वयन हेतु सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के आयुक्त सह सचिव को पूर्ण रूप से उत्तरदायी बनाया गया था। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डी आर डी ए) जिसके अध्यक्ष के रूप में उपायुक्त एवं जिला स्तर पर उप विकास आयुक्त और प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वन के लिए उत्तरदायी थे।

3.3.3 लेखापरीक्षा का क्षेत्र

दिसम्बर 2001 एवं जून 2002 के बीच आयुक्त सह सचिव ग्रामीण विकास विभाग के साथ 22 जिला ग्रामीण विकास अभिकरण[1] में से 6 एवं उसके अंदर 73 प्रखंडों में से 18 प्रखंडों[2] के वर्ष 1999-2002 के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी।

[1] झारखण्डः देवघर, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गुमला और राँची।

3.3.4 निधिकरण संरचना

एस जी एस वाई के अंतर्गत केन्द्र एवं राज्य सरकारों के बीच निधियों के अंशों का अनुपात 75: 25 था। केन्द्रीय विनियोजन का आधार मूलतः गरीबी पर आधारित था। भारत सरकार (जी ओ आई) द्वारा निधियों की विमुक्ति पर राज्य सरकार द्वारा अनुरूप अंश को विमुक्त किया जाना था।

योजना के अंतर्गत प्राप्त निधियों का विनियोजन इस प्रकार था :-

आर्थिक क्रिया-कलापों हेतु चिन्हित आर्थिक सहायता-	60 प्रतिशत
एस जी एस वाई अवसंरचना निधि-	20 प्रतिशत
एस जी एस वाई प्रशिक्षण निधि -	10 प्रतिशत
स्व-सहायता समूह (एस एच जी) हेतु आवृति निधि -	10 प्रतिशत

3.3.5 वित्तीय लागत एवं व्यय[3] (राज्य)

(क) प्राप्त केन्द्रीय सहायता एवं विमुक्त राज्यांशों के विरूद्ध किये गये व्यय निम्न प्रकार थे:-

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	विनियोजन			प्रारंभिक शेष	विमुक्त			कुल	व्यय	अन्तिम अवशेष	अव्ययित अवशेष का प्रतिशत
	केन्द्रीय	राज्य	कुल		केन्द्रीय	राज्य	अन्य प्राप्तियाँ				
1999-2000	55.77	18.59	74.36	46.41	37.31	8.46	शून्य	92.18	33.54	58.64	64
2000-2001	33.63	9.93	43.56	58.64	28.99	8.07	4.38	100.08	41.71	58.37	58
2001-2002	27.51	9.17	36.68	58.37	20.04	10.66	2.13	91.20	48.92	42.28	46
कुल	**116.91**	**37.69**	**154.60**		**86.34**	**27.19**	**6.51**		**124.17**		

(स्रोतः आर डी डी द्वारा प्रस्तुत आँकड़े)

(i) मार्च 2002 के अंत तक विभाग द्वारा 42.28 करोड़ रूपये का उपयोग नहीं किया गया।

उपलब्ध निधियों के अपर्याप्त उपयोग के फलस्वरूप कम केन्द्रीय सहायता।

(ii) निधियों के कम उपयोग के कारण केन्द्रीय सहायता के 30.57 करोड़ रूपये को विमुक्त नहीं किया गया।

[2] देवघर (देवघर सदर,भोजपुर और सरवन), धनबाद (बलियापुर और धनबाद सदर), दुमका (दुमका सदर, गोपी कांदर और काठीकुण्ड) पूर्वी सिंहभूम (चकुलिया, धालभूमगढ़ और जमशेदपुर सदर) गुमला (जलडेगा, कोलेवेरा, कुरडेग और ठिटाईंटांगड़) राँची (नामकुम, रनिया और सिल्ली) ।

[3] वित्तीय लागत झारखण्ड राज्य से संबंधित है।

(ख) नमूना जाँच किये गये छः जिलों में वित्तीय लागत एवं व्यय

प्राप्त निधि का आबंटन एवं किये गये व्यय निम्नवत थेः-

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	विमुक्त राशि			कुल उपलब्ध राशि	व्यय	अव्ययित शेष	अव्ययित शेष का प्रतिशत
		केन्द्रीय	राज्य	अन्य प्राप्त				
1999-2000	20.81	9.66	4.51	4.63	39.61	18.16 (46)	21.45	54
2000-2001	21.45	7.49	3.02	1.65	33.61	14.61 (43)	19.00	57
2001-2002	19.00	4.88	3.97	4.00	31.85	22.76 (71)	9.09	29
कुल		**22.03**	**11.50**	**10.28**		**55.53**		

(प्रतिशत कोष्ठ में दिखाया गया है) (स्रोतः- आँकड़े जैसा संबंधित डी आर डी ए द्वारा उपलब्ध कराये गये।)

29 से 57 प्रतिशत राशि बिना उपयोग के पड़ी रही।

वर्ष 1999-2002 के दौरान उपलब्ध राशि में से 29 से 57 प्रतिशत तक अनुपयोगित रही। अभिलेखों की संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि राज्य स्तर पर कुल बचत की तुलना में जिलों में कम बचत का कारण एस जी एस वाई निधियों का अन्य योजनाओं में विचलन था।

(i) निधियों का विचलन एवं ब्याज की हानि

अनधिकृत रूप से निधियों का विचलन

डी आर डी ए[4] की नमूना जाँच में यह देखा गया कि 3.94 करोड़ रूपये का विचलन (मार्च 1999 और मार्च 2001 के बीच) डी डी सी/डी सी के आदेशानुसार दूसरे विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु किया गया। मार्च 2002 तक विचलित धन राशि में से 3.07 करोड़ रूपये की एस जी एस वाई की निधियाँ अपूरित रहीं। निधियों के अनधिकृत विचलन के परिणामस्वरूप मार्च 2002 तक 28.86 लाख रूपये (5 प्रतिशत प्रति वर्ष) ब्याज की हानि हुई।

(ii) एस जी एस वाई निधि का दुरूपयोग

जमा पर अर्जित ब्याज राशियों का दुरूपयोग किया गया

(क) बैंक के बचत खाते में रखी गयी राशि पर अर्जित ब्याज को अतिरिक्त संसाधन के रूप में निरूपित किया जाना था। इन नियमों की उपेक्षा करते हुए डी आर डी ए दुमका ने वर्ष 2000-02 में अर्जित 75.48 लाख रूपये ब्याज की राशि का दुरूपयोग सिविल कोर्ट में 'हाजत' का निर्माण, निरीक्षण बँगले के नवीकरण/सजाने पर, पे लोडर, टैंकर की खरीद एवं सोडियम वैपर लैंप इत्यादि के प्रतिष्ठापन हेतु किया। इसके अतिरिक्त आई आर डी पी निधि से अर्जित 50.00 लाख रूपये ब्याज की राशि का

[4] देवघर (112.54 लाख रूपये), धनबाद (21.25 लाख रूपये), दुमका (39.59 लाख रूपये), पूर्वी सिंहभूम (48.32 लाख रूपये), गुमला (17.72 लाख रूपये) राँची (154.61 लाख रूपये) ।

दुरूपयोग आवश्यकतानुसार योजना के विकास के बदले मियादी जमा (नवम्बर 1993) के रूप में भी किया ।

(ख) नमूना जाँचित 5 डी आर डी ए[5] में 63.84 लाख रूपये का विचलन संबंधित डी डी सी/डी सी के आदेशानुसार प्रशासनिक व्यय के अंतर्गत कार की खरीद (19.49 लाख रूपये) टेलिफोन बिलों के भुगतान (5.36 लाख रूपये) बिजली बिलों का भुगतान (6.03 लाख रूपये) वाहनो की मरम्मति एवं रख-रखाव एवं ईंधन खर्च (14.96 लाख रूपये) खान-पान (1.84 लाख रूपये) एवं दूसरे विविध व्यय (16.16 लाख रूपये) के रूप में किया गया था। यह अनियमित था।

(iii) बकाया अग्रिम

3 डी आर डी ए[6] में सरकारी कर्मचारियों को 1990 एवं 2001 के बीच 3.19 लाख रूपये अग्रिम दिया गया। मई 2002 तक यह राशि असमायोजित पड़ी रही। तदन्तर दुमका में 2.09 करोड़ रूपये बी डी ओ/अन्य कार्यान्वित करने वाले अभिकरणों को विकास हेतु अग्रिम दिया गया था। इसके अतिरिक्त 1 अप्रैल 1997 को 0.92 करोड़ रूपये पहले से ही उनके विरूद्ध बकाया था। 3.01 करोड़ रूपये में से (2.09 + 0.92 करोड़ रूपये) 1.10 रूपये का समायोजन बी डी ओ/कार्यान्वित करने वाले अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत किया गया। शेष 1.91 करोड़ रूपये की राशि अगस्त 2002 तक अव्यवहृत पड़ी रही। (परिशिष्ट - XIX)

(ग) 1999-2002 के दौरान घटकवार वित्तीय लागत एवं व्यय निम्नवत् थे (राज्य) :-

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	वर्ष के दौरान विमुक्त निधि	परिदान निधि			परिक्रमण निधि/क्षमता रचना			अवसंरचना निधि/जोखिम निधि			प्रशिक्षण निधि		
		उपलब्ध निधि (60%)	व्यय (प्रतिशत)	आधिक्य (+) बचत (-)	उपलब्ध निधि (10%)	व्यय प्रतिशत	आधिव्य (+) बचत (-)	उपलब्ध निधि (20%)	व्यय (प्रतिशत)	आधिक्य(+) बचत (-)	उपलब्ध निधि (10%)	व्यय (प्रतिशत)	आधिक्य (+) बचत (-)
1999-2000	45.77	27.46	25.27 (92)	(-) 2.19	4.58	0.16 / 1.47 (3)	(-) 2.95	9.51	5.78 / -- (63)	(-) 3.37	4.58	0.87 (19)	(-) 3.71
2000-2001	37.06	22.23	32.46 (146)	(+) 10.23	3.71	0.31 / -- (8)	(-) 3.4	7.41	8.10 / 0.41 (109)	(+) 1.10	3.71	0.43 (12)	(-) 3.28
2001-2002	30.70	18.42	38.39 (208)	(+) 19.97	3.07	0.98 / 0.03 (32)	(-) 2.06	6.14	9.24 / 0.05 (150)	(+) 3.15	3.07	0.22 (7)	(-) 2.85
कुल	**113.53**	**68.11**	**96.12**		**11.36**	**1.45 / 1.50**		**22.70**	**23.12 / 0.46**		**11.36**	**1.52**	

टिप्पणीः विमुक्त निधि में 1 अप्रैल 1999 के पहले की योजनाओं से उपलब्ध 46.41 करोड़ रूपये का आरम्भिक शेष सम्मिलित नही है।

[5] देवघर, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम एवं राँची।

[6] देवघर (0.42 लाख रूपये), दुमका (1.26 लाख रूपये) और पूर्वी सिंहभूम (2.51 लाख रूपये)।

(i) 1999-2002 के दौरान 113.53 करोड़ रूपये भारत सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा विमुक्त किया था जिसमें से 68.11 करोड़ रूपये (60 प्रतिशत) परिदान निधि के रूप में चिन्हित था। इसके विरूद्ध परिदान पर खर्च 96.12 करोड़ रूपये (141 प्रतिशत) था। चूँकि राज्य या जिला स्तरों पर दोनो में एक ने भी बैंक के दावे की जाँच नहीं की, परिदान के भुगतान के रूप में अधिक दावा/समायोजन से इंकार नहीं किया जा सकता।

(ii) आवृत्त निधि के अंतर्गत उपलब्ध 11.36 करोड़ रूपये के विरूद्ध सिर्फ 1.45 करोड़ रूपये व्यय किया गया था। यह इंगित करता था कि एस एच जी की समर्थता को क्षमता आगे बढ़ाने के लिए कोशिश नहीं की गयी थी।

उपलब्ध 11.36 करोड़ रूपये में से सिर्फ 1.52 करोड़ रूपये ही स्वरोजगारियों के प्रशिक्षण पर व्यय किया गया।

(iii) 1999-2002 के दौरान स्वरोजगारी के प्रशिक्षण के लिए 11.36 करोड़ रूपये के उपलब्ध निधि के विरूद्ध सिर्फ 1.52 करोड़ रूपये ही उपयोग किया गया। यह इंगित करता था कि स्वरोजगारियों को बिना आवश्यक प्रशिक्षण के वित्तीय सहायता दी गई इसलिए परियोजना की सफलता संदिग्ध थी।

3.3.6 भौतिक प्रदर्शन

(क) योजना के अंतर्गत भौतिक प्रदर्शन निम्नवत थाः-

वर्ष	राज्य में बी पी एल परिवारों की सं.	लक्षित बी पी एल की संख्या (6 प्रतिशत प्रति वर्ष)	स्थापित एस एच जी	आर्थिक क्रिया-कलापों में प्रवेशित एस एच जी की सं.	स्वरोजगारियों की सं.			प्रशिक्षित स्वरोजगारियों की सं.	ह्रास की प्रतिशतता	
					एस एच जी के सदस्यों की सं.	व्यक्तिगत	कुल स्वरोजगरी		सहायता 3 से 8	प्रशिक्षित 8 से 9
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1999-2000	2367006	142021	2480	877	10856	15913	26769	3286	81	88
2000-2001	2367006	142021	4291	957	12433	30172	42605	15794	70	63
2001-2002	2367006	142021	8029	1802	24935	20829	45764	9904	68	78
कुल		**426063**	**14800**	**3636**	**48224**	**66914**	**115138**	**28984**		

(स्रोतः आर डी डी द्वारा प्रस्तुत आँकड़े)

4.26 लाख लक्षित के विरूद्ध केवल 1.15 लाख वी पी एल स्वरोजगारियों को सहायता दी जा सकी।

(i) सर्वेक्षण द्वारा पहचान किये गये 23.67 लाख बी पी एल परिवारों में से आवश्यक संख्या 4.26 लाख (6 प्रतिशत प्रत्येक वर्ष की दर से 18 प्रतिशत) के विरूद्ध 1.15 लाख स्वरोजगारियों को वित्तीय सहायता दी गयी यद्यपि 42.28 करोड़ रूपये अनुपयोगित ही रहा।

75 प्रतिशत स्वरोजगारियों को बुनियादी प्रशिक्षण पूर्ण कराये बिना सहायता दी गई।

(ii) प्रावधानों के अनुसार स्वरोजगारियों के लिए आवश्यक था कि ऋण स्वीकृत होने के बाद एवं इसके भुगतान के पहले अनिवार्य रूप से बुनियादी अनुकूलन कार्यक्रम को पूर्ण करें जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि वे आवश्यक न्यूनतम निपुणता रखते हैं। 124.17 करोड़ रूपये 115138 स्वरोजगारियों के बीच संवितरित किये गये थे जिसमें से सिर्फ 28984 स्वरोजगारियों (25 प्रतिशत)ही प्रशिक्षित थे और 75 प्रतिशत सहायता

प्राप्त करनेवाले स्वरोजगारी (86154) को बिना बुनियादी प्रशिक्षण के ही वित्तीय सहायता दी गयी थी।

(ख) नमूना जाँचित जिलों का भौतिक प्रदर्शन

नमूना जाँचित 6 जिलों का भौतिक प्रदर्शन इस प्रकार था :-

वर्ष	गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों की सं.	गरीबी रेखा से नीचे परिवारों का लक्ष्यांक (6 प्रतिशत)			सहायता प्राप्त रोजगारियों की सं.			प्रशिक्षित स्वरोजगरियों की सं.	ह्रास की प्रतिशतता	
			निर्मित एस एच जी	आर्थिक क्रिया-कलापों में प्रवेशित एस एच जी	एस एच जी के सदस्यों की संख्या	व्यक्तिगत	कुल स्वरोजगरी		सहायता 3 से 8	प्रशिक्षित 8 से 9
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1999-2000	770109	46207	742	251	3466	9875	13341	656	71	95
2000-2001	770109	46207	1918	488	6259	10836	17095	11194	63	35
2001-2002	770109	46207	3572	969	12849	1225	14074	4841	70	66
कुल		**138621**	**6232**	**1708**	**22574**	**21936**	**44510**	**16691**	**68**	**63**

इन 6 नमूना जाँचित जिलों में, गरीबी रेखा से नीचे के 7.70 लाख परिवारों में से, 1.39 लाख परिवारों को तीन वर्षों के दौरान सहायता प्रदान की जानी थी, जिसके विरूद्ध मात्र 0.45 लाख परिवारों को ही सहायता मुहैया की गई, यद्यपि 9.09 करोड़ रूपये की पर्याप्त निधि 31 मार्च 2002 के अन्त तक अव्यवहृत अवशेष के रूप में पड़ी थी। यह योजना को कार्यान्वित करने वाले अभिकरणों की शिथिलता को दर्शाता है।

3.3.7 परियोजना कार्यान्वयन्य

एस जी एस वाई के मानकों के विरूद्ध गरीबी रेखा से ऊपर बस रहे परिवारों को 6.21 करोड़ रूपये की सहायता।

(i) नमूना जाँचित 4 डी आर डी ए[7] में, 67 एस एच जी को (रू. 2.06 करोड़ रूपये) एवं 3270 व्यक्तियों को (रू. 4.15 करोड़ रूपये) वित्तीय सहायता के 6.21 करोड़ रूपये मुहैय्या किए गए, जो 1997-2002 के सर्वेक्षण प्रतिवेदन के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे बस रहे परिवारों से संबंधित नहीं थे।

रोकड़ बही शेष तथा बैंक पासबुक के शेष में भारी विसंगतियाँ

(ii) डी आर डी ए, गुमला में सनदी लेखकार द्वारा तैयार और उपस्थापित किए गए बैंक समाधान विवरणी के रोकड़ शेष में 5.28 करोड़ रूपये की कमी प्रकट हुई जो 31 मई 02 तक लगातार बरकरार थी। (परिशिष्ट- XX)

(iii) डी आर डी ए, गुमला के आई आर डी पी के सहायक रोकड़ पंजी में दिनांक 1 जनवरी 2000 को अंतशेष 8.85 लाख रूपये था, जबकि बैंक ऑफ इंडिया के पास बुक (खाता सं- 5314) का शेष मात्र 6.09 लाख रूपये दर्शाता था। तत्पश्चात् पास बुक में अंकित राशि (6.09 लाख रूपये) की बाद में दिनांक 29 जनवरी 2000 को निकासी

[7] धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गुमला और राँची।

कर खाते को बन्द कर दिया गया था। अन्तशेष में हुई 2.76 लाख रूपये (8.85 लाख रूपये-6.09 लाख रूपये) की राशि की कमी की जाँच वांछित थी।

प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण में अनुचित व्यय हुआ।

(iv) डी डी सी, धनबाद द्वारा 8 प्रखण्डों में लघु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई टी आई)[8] के निर्माण हेतु, कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, धनबाद को सितम्बर एवं दिसम्बर 2001 में बतौर अग्रिम 59.22 लाख रूपये की राशि दी गई, जबकि 6 प्रखण्डों[9] में पहले से ही ट्राईसम योजना के तहत प्रशिक्षण सह उत्पादन केन्द्र (टी सी पी) विद्यमान था। इस प्रकार 44.40 लाख रूपये की राशि को अनावश्यक संरचना के निर्माण में निवेश किया गया।

अस्वीकृत कार्यों पर 19.42 लाख रूपये का व्यय।

इसके अतिरिक्त, डी डी सी, धनबाद ने अक्टूबर 1998 एवं अप्रैल 1999 के बीच संरचना निधि से अस्वीकृत कार्यों के लिए भी 19.42 लाख रूपये व्यय किए जैसा कि नीचे है :-

क्रमांक	कार्य का नाम	अभिकरण का नाम जिनके द्वारा कार्य निष्पादित किए गये	राशि (लाख रूपये में)	अवधि
1	गोविन्दपुर प्रखण्ड में तसर कृषि परियोजना केन्द्र, की चहारदीवारी का निर्माण	जिला बागवानी पदाधिकारी, धनबाद	11.86	28.10.98
2	उपायुक्त आवास की गोपनीय शाखा के कक्ष का विस्तार	कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग, धनबाद	1.18	16.11.98
3	जिला नर्सरी धनबाद में चहारदीवारी, माली गृह तथा गोदाम का निर्माण	परिवेश, एक एन जी ओ, पटना	6.38	20.4.99
		कुल	**19.42**	

सरकारी संस्था के स्वार्थ की बढ़ोत्तरी के लिए कपट पूर्ण प्रावधान।

(v) डी आर डी ए, देवघर द्वारा बिहार राज्य सहकारिता दुग्ध संघ, (सी ओ एम पी एफ ई डी लिमिटेड) पटना को 17.50 लाख रूपये निर्गत किया गया। यह कार्य निदेशित नियमों का उल्लंघन है, जिसमें प्रावधान है कि उन सहकारी समितियों को ही सहायता प्रदान करना है जिनके 50 प्रतिशत सदस्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों से हैं। सी ओ एम पी एफ ई डी लिमिटेड एक सरकार चालित संस्था थी तथा इसके 50 प्रतिशत सदस्य गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में से नहीं थे।

3.3.8 मूल क्रिया-कलाप

एस जी एस वाई के मार्गदर्शिकानुसार, इस योजना की सफलता पूर्णतः मूल क्रिया-कलापों के चयन पर निर्भरशील थे, जो कि स्थनीय साधन, प्रवृत्ति, जन साधारण की निपुणता के साथ-साथ तैयार बाजार की सुलभता पर आधारित थे।

[8] बाघमारा, बलियापुर, धनबाद सदर, गोविन्दपुर, झरिया, तोपचाँची, टुण्डी एवं सिरका।

[9] बाघमारा, बलियापुर, धनबाद सदर, गोविन्दपुर, तोपचाँची, एवं सिरका।

नमूना जाँचित डी आर डी ए के अभिलेखों की संवीक्षा से यह उद्घटित हुआ कि यद्यपि सभी मूल गतिविधियाँ (जैसे- लघु सिंचाई के साथ सब्जी की खेजी, गौपालन, कुक्कुटपालन, शूकर पालन, ग्रामीण विभाग, खाद्य संसाधन, मछली पालन, कूप, नलकूप, चापानल, जेनरेटर सेट आदि) डी आर डी ए द्वारा ही चिन्हित की गयी थी, जो कि जिला स्तर की समितियों द्वारा भी अनुमोदित थी, पर प्रचार-प्रसार, व्यक्तिगत एस एच जी का प्रशिक्षण, स्वरोजगारियों द्वारा निर्मित वस्तुओं के विक्रय हेतु विपणन सहाय्य की ओर प्रर्याप्त प्रयास नहीं किया गया। इस प्रकार इस योजना का उद्येश्य अपूर्ण रह गया।

3.3.9 ऋण एवं वसूलियाँ

सभी एस जी एस वाई ऋणों को मध्यम ऋण समझा जाना था, जिसके चुकाने की अवधि कम से कम पाँच साल थी। कार्यक्रम की सफलता को सुरक्षित करने के लिए शीघ्र वसूली बहुत आवश्यक थी। शीघ्र वसूली को सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को भी जिला प्रशासन के सहयोग से यथसंभव कार्रवाई जैसे व्यक्तिगत संपर्क, संयुक्त वसूली शिविर इत्यादि करनी चाहिए थी।

1999-02 के दौरान संबंधित बैंकों द्वारा सभी डी आर डी ए को ऋण की कुल राशि 177.72 करोड़ रूपये (167.75 करोड़ रूपये व्यक्तिगत स्वरोजगारियों को एवं 9.97 करोड़ रूपये एस एच जी को) का संवितरण किया गया। संवितरित ऋण की राशि में से मात्र 3.07 करोड़ रूपये (2.97 करोड़ रूपये व्यक्तिगत स्वरोजगारियों से एवं 0.10 करोड़ रूपये एस एच जी से) की ही वसूली की जा सकी।

3.3.10 परिसम्पत्तियों का वार्षिक भौतिक सत्यापन

स्वरोजगारियों द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों का सत्यापन नहीं किया जाना।

एस जी एस वाई के मार्गदर्शिकानुसार प्रत्येक वर्ष के अन्त में बाध्यता के आधार पर परिसम्पत्तियों के भौतिक सत्यापन का कार्य करना चाहिए था। नमूना जाँचित जिलों मे यह नहीं किया गया था।

3.3.11 प्रत्येक निधि के लिए पृथक लेखे का संधारण नहीं किया जाना

एस जी एस वाई के मार्गदर्शिकानुसार प्रत्येक डी आर डी ए/प्रखंडों में प्रत्येक संघटकों (जैसे आर्थिक गतिविधियों के लिए परिदान, संरचना निधि, प्रशिक्षण निधि एवं आवृत्त निधि) के लिए पृथक लेखे का संधारण करना था।

नमूना जाँचित अधिकतर जिलों में यह पाया गया कि प्रत्येक संघटक के लिए पृथक लेखे का संधारण नहीं किया गया था। पृथक लेखे के अभाव में प्रत्येक संघटक में उपलब्ध वास्तविक निधि की स्थिति, अधिकता/बचत की स्थिति की जानकारी नहीं ली जा सकी।

3.3.12 सम्पत्ति सूची तथा अन्य सहायक पंजियों/अभिलेखों का संधारण नहीं किया जाना

एस जी एस वाई द्वारा सृजित परिसम्पत्तियों की सूची जिला, प्रखण्ड एवं पंचायत स्तर पर कार्य के आरम्भ एवं समाप्ति का विस्तृत विवरण, सन्निहित राशि तथा रोजगार आदि दर्शाते हुए संधारित करना अति आवश्यक था। तदन्तर, सृजित परिसम्पतियों को संबंधित विभागों को संधारण एवं रख रखाव के लिए सुपुर्द भी करना आवश्यक था। परन्तु किसी भी स्तर में कोई भी सूची का संधारण नहीं किया गया । इसके अतिरिक्त, परिसम्पतियाँ, अगर कोई सृजित थी, वह भी संबंधित विभागों में स्थानान्तरित की हुई नहीं पायी गयी। तदन्तर, नमूना जाँचित प्रखण्ड /डी आर डी ए में आवेदकों की पूर्ण विवरणी, मूल आवेदकों की वित्तीय स्थिति, बैंक द्वारा अग्रसारित/पारित एवं प्रदत्त क्रिया-कलापों के नाम ऋण की राशि , ऋण वसूली पंजी, दोषियों के विरूद्ध की गयी कार्रवाई आदि भी संधारित नहीं थे।

3.3.13 अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

एस जी एस वाई योजना के कार्यान्वयन का अनुश्रवण क्षेत्र निरीक्षकों द्वारा किया जाना था। यह तो नहीं किया गया तथा लाभुकों (स्वरोजगारियों) द्वारा अर्जित मासिक आय एवं उनसे किए गए ऋण की वसूलियों का भी अनुश्रवण नहीं किया गया था।

योजना के कार्यान्वयन का कोई मूल्यांकन न तो राज्य सरकार और न ही किसी उँचे संस्थान और संगठन द्वारा मार्च 2002 तक संचालित किया गया था।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अक्टूबर 2002 एवं अप्रैल 2003); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2003)।

खण्ड - खः कण्डिकाएँ

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

3.4 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में भण्डार प्रबंधन

स्वास्थ्य सेवाओं की क्रियात्मक दक्षता, विस्तृत रूप से चिकित्सीय आंतरिक संरचना की वर्तमान स्थिति पर निर्भरशील है, वह चाहे उपकरण, अस्पताल, चिकित्सीय देखभाल या चिकित्सकों के रूप में हो। भण्डार प्रबंधन, उपकरण तथा औषधियों सहित निदान तथा समुचित उपचार के साथ-साथ आवश्यक आधुनिक सुविधायें प्राप्त कराने में एक अनिवार्य भूमिका निभाता है।

भण्डार के क्रय, निधि की विमुक्ति तथा व्यय के लिए बजट प्रावधान इस प्रकार थेः-

(करोड़ रूपये में)

वर्ष	बजट प्रावधान	निधि की विमुक्ति	व्यय	अधिकता(+) बचत (-)	प्रतिशतता
2210- चिकित्सा					
1997-98	18.96	5.91	4.76	(-) 1.15	19
1998-99	18.71	9.12	6.76	(-) 2.36	26
1999-2000	21.45	8.15	6.51	(-) 1.64	20
2000-2001	33.23	7.73	4.59	(-) 3.14	41
2001-2002	27.56	17.72	13.23	(-) 4.49	25
कुल	**119.91**	**48.63**	**35.85**	**(-) 12.78**	**26**
2211- परिवार कल्याण					
1997-98	4.68	0.94	0.58	(-) 0.36	38
1998-99	4.68	1.03	0.66	(-) 0.37	36
1999-2000	4.68	0.89	0.70	(-) 0.19	21
2000-2001	3.16	0.65	0.42	(-) 0.23	35
2001-2002	1.56	1.49	1.54	(+) 0.05	-
कुल	**18.76**	**5.00**	**3.90**	**(-) 1.10**	**22**

(स्रोत :- क्षेत्र कार्यालयों से प्राप्त सूचनाएँ)

टिप्पणी : (1) 1997-2001 के दौरान निधि का प्रवाह संयुक्त बिहार एवं झारखण्ड के बजट से संबंधित था, अतः बजटीय आँकड़े संयुक्त बिहार एवं झारखण्ड के हैं।

(क) औषधियों के क्रय एवं निर्गमन में अनियमितताएँ

(i) नमूना जाँचित जिलों में वास्तविक आवश्यकताओं को निर्धारित किए बिना ही औषधियों के क्रय के लिए 35.85 करोड़ रूपये में से 14.31 करोड़ रूपये का खर्च किया गया। पी एस यू के अनुपलब्धता प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना, पी सी यू के अलावे दूसरे अभिकरणों से 7.01 करोड़ रूपये (49 प्रतिशत) की औषधियों के क्रय के लिए

खर्च किया गया। ये औषधियाँ बिना किसी निविदा के आमंत्रण और जिला क्रय समिति के अनुमोदित क्रय दर के बिना ही खरीदी गई। क्रय की गई दवाइयों में से 1.45 करोड़ रूपये की दवाइयाँ निजी फर्मों से ऊँची दरों पर खरीदी गई, यद्यपि ये दवाइयाँ हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित थीं। 49.58 लाख रूपये का अधिक व्यय था। (परिशिष्ट- XXI)

(ii) 30[1] नमूना जाँचित संस्थानों की संवीक्षा से यह प्रकट हुआ कि खरीदी गई दवाइयों के नमूने किसी प्रयोगशाला में विश्लेषण किये बिना ही रोगियों को निर्गत किए गए। 7 जिलों[2] के औषधि निरीक्षकों ने 63 नमूनों का संग्रह कर खुद ही नमूना जाँच की। अप्रैल 98 से मार्च 2002 के दौरान क्रय की गई दवाओं के 18 नमूने घटिया स्तर के पाये गए। 6.64 लाख रूपये की घटिया स्तर की दवाओं को जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के पहले ही रोगियों को निर्गत कर दिए गए थे। 4.27 लाख रूपये की घटिया स्तर की दवाएँ मार्च 2002 तक भण्डार में पड़ी थीं। घटिया स्तर की दवाइयों को प्राप्त किए जाने या मरीजों को निर्गत करने से रोकने के उठाये गये कदम से संबंधित कोई भी अभिलेख लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया।

अधिक मात्रा में क्रय किए जाने के कारण दवाओं को निर्गत करने के पूर्व ही इनकी अतिक्रांत होने की तिथि खत्म हो चुकी थी। 7 नमूना[3] जाँचित संस्थानों में 7.41 लाख रूपये की दवाएँ अतिक्रांत अवस्था में भण्डार में पड़ी हुई थी।

(iii) 6[4] नमूना जाँचित संस्थानों द्वारा प्रोफार्मा बिल पर 75.84 लाख रूपये की निकासी की गई लेकिन किसी भी दवाई/उपकरण की आपूर्ति नहीं की गई एवं निकासी की गई राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप में जून 2002 तक अव्यवहृत पड़ी हुई थी।

(ख) मशीनरी एवं उपकरणों के क्रय में अनियमितताएँ

(i) मार्च 2002 में एम जी एम महाविद्यालय अस्पताल, जमशेदपुर द्वारा 32 लाख रूपये के मूल्य का एक 'अल्ट्रासाउण्ड कलर डॉपलर' (एच डी 1500) मेसर्स फिलिप्स मेडिकल सिस्टम इंडिया लिमिटेड से खरीदा गया किंतु "क्रय पश्चात् सेवा" के बारे में कोई अनुबंध नहीं किया गया था यद्यपि यह वांछित था।

---

[1] महात्मा गाँधी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, जमशेदपुर, पाटलिपुत्र चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, धनबाद, राजेन्द्र चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, राँची, जिला अस्पताल देवघर, गुमला, हजारीबाग, गिरिडीह, राँची, उप-प्रमण्डलीय अस्पताल, बोकारो, सीएस सह सी एम ओ बोकारो, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, राँची, ए सी एम ओ, बोकारो, देवघर, धनबाद, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, राँची, यक्ष्मा पदाधिकारी, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर, राँची और राँची मनो चिकित्सा एवं विज्ञान संस्थान (रिनपास)

[2] बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, जमशेदपुर और राँची।

[3] सी एस सह सी एम ओ देवघर, धनबाद, सदर अस्पताल देवघर, बोकारो, ए सी एम ओ, बोकारो और देवघर, रिनपास, राँची।

[4] सी एस सह सी एम ओ बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, गुमला, सदर अस्पताल, राँची एवं चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पताल, जमशेदपुर ।

(ii) एम जी एम महाविद्यालय अस्पताल, जमशेदपुर में बिना किसी 'वार्षिक रखरखाव अनुबंध' के एक हेलियस कार्डियोसॉफ्ट ट्रेडमिल (5.72 लाख रूपये) एवं सिमेन्स के अल्ट्रासाउण्ड सोनोलाईन 500 (6.35 लाख रूपये) का क्रय कर प्रतिष्ठापित किया गया (अक्टूबर 98 एवं नवम्बर 98) । ये मशीनें क्रमशः नवम्बर 98 एवं दिसम्बर 99 से खराब हो गईं एवं मरम्मति के अभाव में जून 2002 तक बिना काम के पड़ी रहीं। अस्पताल अधीक्षक ने सूचित किया (जून 2002) कि मशीन की मरम्मति के लिए आवश्यक कार्रवाई की गई थी।

(iii) (क) स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा, आर एम सी एच, राँची के लिए एक 'सीटी स्कैन' मशीन (1.43 करोड़ रूपये), मेसर्स फिलिप्स मेडिकल सिस्टम इंडिया प्रा. लि. कोलकाता से खरीदी गई (दिसम्बर 98) जिसकी कुल कीमत 2.27 करोड़ रूपये थी, जिसमें 9 वर्षों का वार्षिक रखरखाव अनुबंध (75.65 लाख रूपये) एवं प्रतिष्ठापन मूल्य (8.80 लाख रूपये) शामिल थी। निम्नतम निविदा की दर सिमेन्स इंडिया लि., मुम्बई की 2.05 करोड़ रूपये थी (मशीन की कीमत - 1.21 करोड़ रूपये + प्रतिष्ठापन मूल्य - 14 लाख रूपये + 2 वर्षों की वारंटी के साथ आठ वर्षों का वार्षिक रखरखाव अनुबंध 70 लाख रूपये)। प्रथम निम्नतम निविदा को इस दलील के तहत रद्द किया गया कि द्वितीय निम्नतम निवेदक (मेसर्स फिलिप्स) तकनीकी तौर पर बेहतर थी जैसे कि यह केवल 220 वोल्ट के एक फेज से ही परिचालित की जा सकती थी और कभी-कभी यह बिना बिजली के भी परिचालित की जा सकती थी।

तथापि, यह देखा गया कि परिचालन के प्रथम दिन (दिसम्बर 1998) ही मशीन 220 वौल्ट की एक फेज लाईन से काम नहीं कर रही थी, इसलिए कम्पनी के इंजीनियर द्वारा 3 फेज लाईन की माँग पर तत्काल मशीन बन्द कर दी गई। 3 फेज लाईन 22 फरवरी 1999 को प्रतितष्ठापित की गई किन्तु मशीन फिर भी 10.11.99 तक काम नहीं कर सकी। इस तरह, 21.95 लाख रूपये का अतिरिक्त भुगतान अनुचित रहा।

(ख) इसके अतिरिक्त, आपूर्ति अनुबंध में यह भी तय था कि मशीन की बिगड़ी हुई अवधि में 2500 रूपये प्रति दिन की दर से जुर्माना के रूप में वार्षिक रख-रखाव के मद से घटाया जाना था। बिना मरम्मति के मशीन 282 दिनों तक पड़ी थी (2.2.99 से 10.11.99) किन्तु 7.05 लाख रूपये जुर्माने की रकम वार्षिक रख रखाव मद से नहीं घटाया गयी थी, जबकि सितम्बर 2000 से अगस्त 2002 के दौरान कम्पनी को वार्षिक अनुबंध की राशि 16.81 लाख रूपये का भुगतान किया गया।

(iv) जून 2000 में हास्पिटल सर्विसेज कन्सलटेंशी कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, हजारीबाग को 6.91 लाख रूपये की राशि के मूल्य की 23 सेट माईक्रोस्कोप बाइनोकुलर की आपूर्ति की गई। ये सेट जिला यक्ष्मा कार्यालय में प्राप्त नहीं हुए। जिला यक्ष्मा पदाधिकारी जून 2002 तक इन खोये हुए उपकरणों के पता लगाने में कोई कार्रवाई करने में असमर्थ रहे।

(v) नमूना जाँचित 7 संस्थानों[5] के अभिलेखों से यह उद्घटित हुआ कि 1981-02 के दौरान 64.69 लाख रूपये के 52 उपकरण तकनीशियनों की कमी, मरम्मत, पुर्जे एवं उपयुक्त बिजली संयोजन की कमी के कारण निष्क्रिय पड़े हुए थे। (परिशिष्ट - XXII)

(vi) स्वास्थ्य विभाग ने एम जी एम महाविद्यालय अस्पताल, जमशेदपुर में एक ब्लड बैंक के गठन का निर्देश दिया एवं मार्च 2002 में 12.97 लाख रूपये स्वीकृत किया। 2001-02 के दौरान इस राशि में से 9.02 लाख रूपये मात्र की मशीन तथा उपकरण का क्रय किया गया तथा शेष राशि अभ्यर्पित कर दी गयी, जिसके कारण जून 2002 तक अस्पताल में ब्लड बैंक की शुरूआत नहीं हो सकी। वित्तीय वर्ष के अन्त में हुई राशि की स्वीकृति के कारण आंशिक क्रय किया गया।

(vii) 3 नमूना जाँचित संस्थानों (सदर अस्पताल हजारीबाग, गुमला एवं ए.सी.एम.ओ., हजारीबाग) में 17.09 मूल्य की औषधि/गर्भनिरोधक एवं अन्य सामग्रियों को भण्डार खाते में नहीं लिया गया एवं दुर्विनियोजन कर लिया गया था।

(viii) गुमला जिले के 3 संस्थानों सदर अस्पताल, सी.एस. सह सी.एम.ओ. एवं ए.सी.एम.ओ.) की रोकड़ बही की संवीक्षा से प्रकट हुआ कि क्रय पर 3.45 लाख रूपये व्यय किये गये लेकिन औषधियों/सामग्रियों के क्रय के समर्थन में कोई प्रमाणक एवं वास्तविक भुगतान की रसीद लेखा परीक्षा को उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

उपर्युक्त मामले सरकार को प्रतिवेदित किये गये (अक्टूबर 2002) उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2003)।

कल्याण विभाग

3.5 झारखण्ड में सफाईकर्मियों की मुक्ति एवं पुनर्वास

योजना का क्रियान्वयन बुरी तरह असफल रहा क्योंकि सरकार प्रशिक्षण एवं पुनर्वास हेतु सफाईकर्मियों की पहचान तक न कर सकी।

भंगी-सफाईकर्मियों की मुक्ति एवं पुनर्वास, एक केन्द्र प्रायोजित योजना का प्रारंभ 1980-81 में किया गया था। भारत सरकार (जी ओ आई) ने योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को परिवर्तित (अप्रैल 1996) करते हुए लागू करने पर बल दिया (जनवरी 2000)। भारत सरकार ने 1993 के एक अधिनियम द्वारा हाथ से सफाई करने वाले के नियोजन एवं शुष्क् शौचालायों के निर्माण पर रोक लगाया।

[5] सी एस सह सी एम ओ , बोकारो, जमशेदपुर, चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल जमशेदपुर, धनबाद और राँची, सदर अस्पताल बोकारो, यक्ष्मा पदाधिकारी, जमशेदपुर।

योजना में सर्वेक्षण द्वारा सफाईकर्मियों की पहचान, पहचान किये गये सफाईकर्मियों को प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षित सफाईकर्मियों को अनुदान एवं ऋण और पुनर्वास पर विचार किया गया। योजना में प्रत्येक शुष्क शौचालयों को जलवाहित में रूपान्तरित कर भंगियों द्वारा मैला साफ करने की प्रथा को हटाने पर भी विचार किया गया।

(क) मार्च से मई 2002 के दौरान अभिलेखों की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि (i) नये राज्य झारखण्ड के निर्माण से पहले बिहार अनुसूचित जाति विकास निगम (एस.सी.डी.सी.), बिहार द्वारा वर्तमान झारखण्ड राज्य के 18 जिलों के जिला कार्यपालक पदाधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन हेतु 24.08 लाख रूपये विमुक्त किया गया (1998-2001) और डी इ ओ से बिना उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त किये इस राशि को खर्च मान लिया गया। (ii) भारत सरकार द्वारा प्रबंध निदेशक, झारखण्ड राज्य जनजातीय सहकारी विकास निगम को 5750 सफाईकर्मियों के पुनर्वास हेतु 230 स्वास्थ्यकर मकान के निर्माण के लिए 10.85 करोड़ रूपये (अप्रैल 2001) सीधे विमुक्त किया जिस में से 6.60 करोड़ रूपये को मियादी जमा में निवेशित (अप्रैल 2001) एवं 4.25 करोड़ रूपये 10 जिलों को आबंटित (अगस्त 2001) किया गया लेकिन सम्पूर्ण राशि मई 2002 तक अव्यवहृत पड़ी रही।

(ख) 18 जिलों में से 4[1] के अभिलेखों की संवीक्षा से आगे उद्घटित हुआ कि आयुक्त जनजाति कल्याण विभाग (टी डब्लू डी) से प्राप्त (2001-02) 1.76 करोड़ रूपये की राशि को 10 से 12 माह तक बचत खाते में जमा रख गया तत्पश्चात् 3 जिलों (धनबाद, हजारीबाग एवं जमशेदपुर) द्वारा अप्रैल 2002 में उचित दिशा निर्देश के अभाव में 1.46 करोड़ रूपये विभाग को लौटा दिया गया। (ii) 1998-02 के दौरान एस सी डी सी बिहार एवं टी डब्लू डी, झारखण्ड द्वारा सफाईकर्मियों की पहचान के लिए कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया था एवं प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के लिए सफाईकर्मियों की पहचान के लक्ष्य भी तय नहीं किये गये थे। (iii) मार्च 2002 तक कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। तथापि, नमूना जाँचित जिलों में बिना कोई सर्वेक्षण संचालित किये 2700 सफाईकर्मियों के पुनर्वास का लक्ष्य रखा गया किन्तु मात्र 50 सफाईकर्मियों को पुनर्वासित किया गया एवं 8.98 लाख रूपये विमुक्त किया गया।

1993 में अधिनियम लागू करने के बावजूद शुष्क शौचालयों की पहचान एवं उनको जलवाहित में रूपांतरण की व्यवस्था के लिए राज्य सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। अप्रैल 2002 तक राज्य स्तरीय कोई अनुश्रवण एवं मूल्यांकन समिति नहीं बनी थी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (अगस्त 2002 एवं अप्रैल 2003) उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2003)।

[1] धनबाद, हजारीबाग, जमशेदपुर एवं राँची।

ग्रामीण विकास विभाग

3.6 निधियों का दुरूपयोग

- 1.31 करोड़ रूपये की निधि से संबंधित भारत सरकार की प्रायोजित योजना जो गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले गरीब ग्रामीणों के लिए थी, का दुरूपयोग ग्रामीणों के दूसरे वर्गों के व्यक्तियों के लाभ के लिए किया गया।

•• 5 प्रखंडों में ई ए एस निधि के 85.08 लाख रूपये की राशि के दुरूपयोग के फलस्वरूप लक्षित ग्रामीणों को नियत लाभ से वंचित रखा गया।

••• दो प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों ने गरीब ग्रामीणों को , ई ए एस के मानकों से अधिक 31.18 लाख रूपये सामग्री अवयवों पर खर्च कर, ग्राह्य रोजगार अवसरों से बंचित रखा।

दस लाख कूप योजना (एम डब्लू एस) एवं सुनिश्चित रोजगार योजना (ई ए एस) रोजगार के अवसर दिलाने वाली केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ थीं। एम डब्लू एस के अंतर्गत सिंचाई संबंधी खुला कूप छोटे, गरीब एवं सीमान्त किसानों को बिना किसी लागत गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं मुक्त कराये गये बंधुआ मजदूरों को प्रदान किया जाना था जिनका नाम गाँव के बी पी एल सर्वेक्षण सूची एवं समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम पंजी (आई आर डी पी) में सम्मिलित हो जबकि सुनिश्चित रोजगार योजना ई ए एस का उद्येश्य प्रत्येक पंजीकृत जरूरतमंद लोगों को कमजोर कृषि मौसम के दौरान लोगों को वर्ष भर में 100 दिन रोजगार प्रदान करना था।

• (i) 3 प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बी डी ओ) (पलामू जिले के मनिका, सतबरबा एवं राँची के काँके)के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि 1995-99 के दौरान 1.31 करोड़ रूपये बी डी ओ द्वारा दस लाख कूप योजना के अंतर्गत 714 लोगों को भुगतान किया गया जिनका वी पी एल के सर्वेक्षण प्रतिवेदन (1992-97 और 1997-02) के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे बसर करनेवाले के रूप में पहचान नहीं की गयी थी और जो गाँव के आई आर डी पी पंजी की सूची में नहीं थे।

•• (ii) लेखापरीक्षा संवीक्षा से तदन्तर उद्घटित हुआ कि 5 बी डी ओ धालभूमगढ़ (पूर्वी सिंहभूम), किस्को (लोहरदगा), भरनो (गुमला), चास (बोकारो) एवं काँके (राँची) में ई ए एस के अंतर्गत 85.08 लाख रूपये का भुगतान 1997-98 से 2001-02 के दौरान 27074 ऐसे लोगों को किया गया जिसकी पहचान पंजीकृत मजदूरों के रूप में नहीं थी।

●●● (iii) सुनिश्चित रोजगार योजना (ई ए एस) के अंतर्गत स्वीकार किये गये कार्यों को श्रम सघन होना चाहिए जहाँ श्रम एवं सामग्री अवयवों का अनुपात 60:40 होना चाहिए।

2 प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बी डी ओ) चैनपुर एवं कोलिबिरा के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घटित हुआ कि 1996-2001 के दौरान सुनिश्चित रोजगार योजना के अंतर्गत 1.16 करोड़ रूपये, सड़क, सामुदायिक एवं विद्यालय भवनों, पुलिया, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र इत्यादि 41 योजनाओं के निर्माण पर व्यय किया गया था। जहाँ सामग्री अवयवों पर 77.68 लाख रूपये (67 प्रतिशत)एवं श्रम अवयवों पर 38.56 लाख रूपये (33 प्रतिशत) व्यय किया गया था। इसके फलस्वरूप सामग्री अवयवों पर 31.18 लाख रूपये का अधिक व्यय एवं श्रम अवयवों पर कम व्यय किया गया। मानकों के पालन न करने के फलस्वरूप जरूरतमंद ग्रामीणों को रोजगार अवसरों के वांछित लाभ से बंचित रखा गया।

प्रखंड विकास पदाधिकारियों (बी डी ओ) द्वारा भारत सरकार के सुनिश्चित रोजगार योजना के क्रियान्वयन के दिशानिर्देश से विचलन का कोई कारण उपलब्ध नहीं कराया गया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून/जुलाई 2002 एवं अप्रैल 2003) उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2003)।

प्राथमिक, माध्यमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग

3.7 अप्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन और भत्ते पर निरर्थक व्यय

दुमका और हजारीबाग के जिला शिक्षा अधीक्षकों ने शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण पर भेजने के पूर्व उनके वेतन और भत्ते पर 1.15 करोड़ रूपये (दुमकाः 86.55 लाख रूपये और हजारीबागः 28.36 लाख रूपये) बिना कोई कार्य कराये खर्च किया।

बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को जो कि द्वितीय प्राथमिक शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा, 1996 एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (बैकलॉग) विशेष परीक्षा 1996 के आधार पर चयनित हुए थे, को विद्यालयो में पढ़ाने के लिए उनके सेवाकालीन प्रशिक्षण की समाप्ति के बाद प्रतिनियुक्त किया जायेगा। तदनुसार बिहार सरकार के सचिव, प्राथमिक, माध्यमिक एवं वयस्क शिक्षा विभाग द्वारा प्रशिक्षण के लिये एक विस्तृत कार्यक्रम प्रस्तुत (मार्च 2000) किया गया।

दुमका (दिसम्बर 2001) एवं हजारीबाग (दिसम्बर 2002) के जिला शिक्षा अधीक्षक (डी एस ई) के अभिलेखों की नमूना जाँच से यह उद्घटित हुआ कि 701 (दुमका 557 एवं हजारीबाग 144) प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति हेतु चयनित किये गये थे जिसमें 630 अप्रशिक्षित शिक्षकों (दुमका - 497 एवं हजारीबाग - 133) ने अपने-अपने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को रिपोर्ट किया (दुमका - मई 2000 से जुलाई 2000 हजारीबाग - दिसम्बर 1999) एक साल के सेवाकालीन प्रशिक्षण के पूर्व अनावश्यक रूप से क्रमशः सितम्बर 2000 एवं मई 2000 तक उनके कार्यालयों में अनावश्यक रूप से रोके रखा गया। जिसके फलस्वरूप 1.15 करोड़ रूपये का उनके वेतन एवं भत्ते पर निरर्थक व्यय किया गया।

जिला शिक्षा पदाधिकारी, दुमका ने कहा (दिसम्बर 2001) कि शिक्षक प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति आदेश का इंतजार कर रहे थे। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि शिक्षकों को उनके प्रशिक्षण में भेजे जाने से पूर्व मई से सितम्बर 2000 तक रोके रखा गया। डी एस ई हजारीबाग ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जून 2002 एवं अप्रैल 2003); उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2003)।

गृह (पुलिस) विभाग

3.8 पुलिस बल के सेवा-मूल्य की वसूली नहीं होने के कारण हानि

पुलिस अधीक्षक, धनबाद पुलिस बल के प्रतिनियुक्ति-मूल्य की वसूली में असफल रहे

बिहार पुलिस नियमावली एवं सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत निर्देशो में यह विहित है कि पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के मूल्य को लोक या निजी उपक्रम की अधियाचना करने पर विहित दरों पर अग्रिम में ही वसूली की जायेगी।

पुलिस अधीक्षक, धनबाद के अभिलेखों एवं प्रदत्त सूचना (मार्च 2003) की नमूना जाँच से उद्घटित हुआ कि पुलिस अधीक्षक ने केन्द्रीय अनुसंधान विभाग के पुलिस अधीक्षक की अधियाचना पर (3 हवलदार एवं 12 सिपाहीयों) अप्रैल 1997 से अगस्त 2002 के दौरान विभिन्न चरणों में प्रतिनियुक्त किया एवं भारतीय स्टेट बैंक, हीरापुर शाखा, धनबाद को जुलाई 1993 से अगस्त 2002 के बीच पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के मूल्य को बिना अग्रिम वसूली के प्रतिनियुक्त किया। उन्होंने संबंधित प्रबंधनों से पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के मूल्य की वसूली का प्रभावी प्रयास सुनिश्चित नहीं किया।

इसके फलस्वरूप पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के मूल्य का कुल 68.77 लाख रूपये (सी बी आई 23.23 लाख रूपये, एस बी आई 45.54 लाख रूपये) मार्च 2003 तक

वसूली हेतु बाकी रहा। पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति के मूल्य की वसूली नहीं होना सरकार की हानि थी।

तथापि, जनवरी 2003 में 15 लाख रूपये की वसूली भरतीय स्टेट बैंक, हीरापुर शाखा से की गयी। इस प्रकार 53.77 लाख रूपये की कुल राशि (सी बी आई 23.23 लाख रूपये एवं एस बी आई 30.54 लाख रूपये) की अभी तक वसूली किया जाना शेष है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2002 और अप्रैल 2003) उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए है (दिसम्बर 2003)।

3.9 राज्य आकस्मिकता निधि से बिना औचित्य के निधियों की निकासी

राज्य आकस्मिकता निधि से 6.76 करोड़ रूपये की अनुचित निकासी और अस्तित्व विहिन बटालियनों के लिए वाहनों, एस एल आर, बेतार सेट एवं उपकरणों की खरीद।

झारखण्ड सरकार (गृह विभाग), राँची ने नक्सल बहुल क्षेत्रों में उग्रवादी गतिविधियों का मुकाबला करने हेतु पलामू एवं साहेबगंज में दो अतिरिक्त सशस्त्र पुलिस बटालियनों के गठन करने का फैसला किया (जनवरी 2001) एवं राज्य की आकस्मिकता निधि से अनुमानित व्यय 17 करोड़ रूपये के विरूद्ध 8.50 करोड़ रूपये वाहनों, शस्त्रों एवं गोला बारूदों और अन्य उपकरणों के क्रय के लिए निकासी स्वीकृत की (जनवरी-मार्च 2001)। सरकार ने इसके लिए पुलिस उप महानिरीक्षक (बजट) राँची को आय एवं व्ययन पदाधिकारी एवं पुलिस महानिदेशक, झारखण्ड को नियंत्रक पदाधिकारी नामित किया।

लेखापरीक्षा में यह देखा गया (अगस्त 2001) कि पुलिस उप महानिरीक्षक (बजट) ने 6.76 करोड़ रूपये (8.50 करोड़ रूपये में से) 114 वाहनों (5.64 करोड़ रूपये), उपकरण (2.17 लाख रूपये) बेतार सेटों (36.23 लाख रूपये) शस्त्रों एवं गोला बारूदों (73.50 लाख रूपये) की खरीद के लिए कोषागार से निकासी की (मार्च 2001) यद्यपि चिन्हित जगहों पर बटालियनों के आवासों की व्यवस्था नहीं की गयी थी एवं सिपाहियों एवं अन्य कर्मचारियों की चयन प्रक्रियाओं को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। यह दर्शाता था कि निधियों की निकासी समय से पहले कर ली गयी थी।

प्राप्त 114 वाहनों (अप्रैल से दिसम्बर 2001) में से 4.12 करोड़ रूपये के 86 वाहनों[1] को बिना किसी अधियाचना के विभिन्न इकाइयों को वितरित कर दिये गये थे। अन्य 28 वाहनों[2], जिसकी कीमत 1.52 करोड़ थी 2 नये बटालियनों जिसकी स्थापना की जानी थी को आपूर्ति कर दिये गये। इन वाहनों को विभिन्न यूनिटों को वितरण किये जाने का औचित्य नहीं था क्योंकि राज्य में मार्च 2001 तक 450 वाहनों की आवश्यकता के

[1] जिला मुख्यालय (30) , झारखण्ड सशस्त्र पुलिस (28) , पुलिस झारखण्ड राँची (9) एवं अन्य (19)
[2] जिप्सी (4) , मिनि बस (2) , मोटर साईकिल (6) , एल पी टी ट्रक (4) , टाटा 407 (2) , बस (8) एवं एम्बुलेंस (2)

विरूद्ध 536 अतिरिक्त नये वाहन (17.44 करोड़ रूपये) पहले ही विभिन्न पुलिस इकाइयों को दिया जा चुका था।

तदन्तर, 1470 एस एल आर एवं 198 बेतार सेट एवं उपकरण 1.12 करोड़ रूपये की कुल लागत से प्राप्त किये गये (मार्च 2001)। 3.75 करोड़ रूपये मूल्य के 75 एस एल आर के उपकरण 2 बटालियनों को प्रदान किया गया था एवं शेष 1.08 करोड़ रूपये मूल्य के 1395 एस एल आर एवं 198 बेतार सेट या तो भंडार में अव्यवहृत पड़ा रहा या विभिन्न जिला पुलिस इकाइयों को आपूरित किया गया था। यह भी देखा गया (मार्च 2001) कि 825 एस एल आर एवं 785 बेतार सेट विभाग द्वारा जिला इकाइयों के लिए प्राप्त किये गये थे।

पुलिस उप महानिरीक्षक (बजट) ने कहा कि बटालियनों की स्थापना सरकार की नियुक्ति के फैसला के कारण लंबित था। मार्च 2003 तक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इन बटालियनों में 2910 आवश्यक कर्मियों के विरूद्ध मात्र 93 कर्मी ही अन्य बटालियनों से स्थानांतरित अवशेष पुलिस एवं कर्मचारी थे।

इस प्रकार, मार्च 2003 तक बटालियनों की स्थापना नहीं की गयी थी एवं निधियों की निकासी समय से पूर्व थी।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2002) उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं (दिसम्बर 2003)।